रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 1985/फाल्गुन 25, 1906
No. 66] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 1985/PHALGUNA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1985

स एम / वित्त (ई. ए. डी.) यू ओ. स एफ 15 (1) – बी (डी.)/85.– केन्द्रीय सरकार का 1985–86 का बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाषण –

बजट 1985–86

केन्द्रीय वित्त मंत्री

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाषण

16 मार्च, 1985

भाग क

महोदय,

मैं नई सरकार का पहला बजट पेश करते हुए अत्यन्त गौरव का अनुभव कर रहा हूं।

2 मैं यह भली भांति जानता हूं कि इस निर्णायक घड़ी में हम पर जो सबसे जिम्मेदारी आई है, वह केवल हमारे उस पद के कारण ही नहीं है, जिस पर हम आसीन हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा उस असीम विश्वास से उत्पन्न हुई है, जो हमारे प्रति लोगों ने व्यक्त किया है। हम जन–साधारण के इस विश्वास पर पूरा उतरने की हर कोशिश करने का वचन देते हैं।

3. मुझे अपनी प्रिय विदेशगत नेता, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के ये शब्द याद आते हैं.

"हमारे विशाल और विविधतापूर्ण जनता के किसी भाग को यह महसूस नहीं होना चाहिये कि उसे भुला दिया गया है। उनकी उपेक्षा से हम सबका नुकसान होगा।"

हम अब उनकी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन उनके शब्द सदा हमारे साथ रहेंगे। राष्ट्रनिर्माण के कार्य में उन्होंने कौन–सा कष्ट नहीं उठाया, यहां तक कि उन्होंने मृत्यु की पीड़ा भी सही। उन्होंने हमारे लिये अपने खून में लिखी हुई विरासत छोड़ी है, और वह विरासत है इस देश की रक्षा करना और उसे प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाना। हम उनके इस उद्देश्य के प्रति अपने आपको पुन समर्पित करते हैं।

4. सदन के सम्मुख जो 'आर्थिक समीक्षा' प्रस्तुत की गई है उसमें चालू वर्ष के आर्थिक घटनाचक्र का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसलिये यहां मैं वर्तमान आर्थिक स्थिति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का ही उल्लेख करूंगा।

5. वर्ष 1984–85 के दौरान राष्ट्रीय आय में, इससे पिछले वर्ष की 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त में, 4 प्रतिशत की समग्र वृद्धि होने की आशा है। 1983–84 में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष इस समय प्रत्याशित मात्रा से भी अधिक हुआ है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1982–83 के लगभग 13 करोड़ मेट्रिक टन के स्तर से बढ़कर 15.15 करोड़ मेट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया। 1983–84 में कृषि में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन संभवतः गत वर्ष के रेकार्ड स्तर के आस-पास होगा। वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हुआ है और वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1984-85 में इसके वृद्धि की दर लगभग 7 प्रतिशत रहेगी। किन्तु, कुल मिलाकर छठी योजना की अवधि में औद्योगिक वृद्धि की औसत दर लगभग 6 प्रतिशत रहेगी जो कि योजना में निर्धारित लक्ष्य से कम है।

6. वर्ष 1984–85 के दौरान आधारभूत ढांचे के प्रमुख क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन काफी-कुछ अच्छा रहा। अप्रैल-दिसम्बर 1984 की अवधि में बिजली का उत्पादन इससे पिछले वर्ष की इस अवधि के अपेक्षा 13.6 प्रतिशत अधिक हुआ, जब कि इसके मुकाबले में 1983-84 में इसमें 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कोयले के उत्पादन में अप्रैल-दिसम्बर 1984 के दौरान 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि 1983–84 में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रेल द्वारा माल के यातायात में 1983–84 में गतिरोध आ गया था; उसमें चालू वर्ष के दौरान कुछ प्रगति शुरू हुई और पहले नौ महीनों में 3.5 प्रतिशत का साधारण वृद्धि हुई।

7. वर्ष के दौरान हमारे भुगतान शेष की स्थिति सुविधाजनक रही और हमारे मुद्रा-भंडार में जनवरी 1985 के अंत तक लगभग 517 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि हुई। हालांकि रुपयों के रूप में यह वृद्धि कुछ अंश तक अमेरिकी डालर के मजबूत हो जाने के कारण हुई, फिर भी खुशी की बात यह है कि 1983–84 में भुगतान शेष की स्थिति में जो सुधार हुआ था वह चालू वर्ष में भी जारी रहा। नवम्बर 1984 तक के उपलब्ध व्यापार-संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात में, इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत और आयात में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि चालू वर्ष में नवम्बर तक, शुद्धतम रूप में 3,016 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा रहेगा जबकि इससे पिछले वर्ष 3,080 करोड़ रुपये का घाटा रहा था। स्मरण रहे कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध 5 अरब एस. डी. आर. में से केवल 3.9 अरब एस. डी. आर. की निकासी करने के बाद 1 मई, 1984 से इस प्रबंध को स्वेच्छा से समाप्त कर दिया था। हमारा यह सामर्थ्य इस बात का प्रमाण है कि हमारा विदेशी प्रबंध एक ऐसी अवधि में, जब कि वैश्विक वातावरण अत्यन्त प्रतिकूल था, रहा था।

8. मुद्रास्फीति की दर जो पिछले वर्ष के अंतिम दिनों में चिन्ता का विषय बन गई थी, विभिन्न प्रकार के मुद्रास्फीति-विरोधक उपायों के कार्यान्वयन द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित रखी जा सकी। इन उपायों में व्यय पर अंकुश लगाना और सूझ-बूझ के साथ पूर्ति-प्रबंध करना तथा ठीक समय पर आयात करना शामिल था। हमें, निस्संदेह, लगातार दो अच्छी फसलों का लाभ भी मिला। इस प्रकार 23 फरवरी, 1985 को थोक कीमतों में वृद्धि की वार्षिक दर 5.2 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह दर 10.0 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक भी जनवरी, 1985 में, उससे 12 महीने पहले के स्तर की अपेक्षा केवल 4.4 प्रतिशत ऊंचा था, जब कि इससे पहले के वर्ष की तत्सदृश अवधि में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

9. इस प्रकार, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था ठीक तरह से चल रही है। देश यह सब प्रगति एक लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत रहते हुए कर सका है, यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। एक ऐसे देश में जहां जनता का एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, बाहर से कोई खास सहायता लिये बिना अपने विकास के लिये आवश्यक संसाधन जुटा पाना और फिर भी लोकतंत्र को सुरक्षित रख लेना एक ऐसी उपलब्धि है जिसका श्रेय देश के राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता को जाता है।

10. फिर भी हमें आत्मतुष्टि के साथ-साथ हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ जाना चाहिये क्योंकि हमें आगे जो काम करना है वह बहुत श्रमसाध्य है। मैं अब माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहूंगा कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में मेरे क्या विचार हैं और सरकार उनका मुकाबला किस प्रकार करना चाहती है।

11. इस समय जब कि हम सातवीं योजना का समारंभ करने जा रहे हैं संसाधनों की स्थिति केन्द्र और राज्यों दोनों ही स्तरों पर और भी तंग हो गई है। मूल समस्या यह है कि हमारा आयोजना-भिन्न व्यय ऐसी गति से बढ़ता जा रहा है जो चालू राजस्वों की वृद्धि से अधिक तेज है। इसके परिणामस्वरूप, आयोजना के लिये बजटीय संसाधन बहुत क्षीण हो गए हैं। इस समय केन्द्र के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 70 प्रतिशत भाग राजा, ब्याज की अदायगियों और खाद्य तथा उर्वरक संबंधी भारी सहायता पर खर्च हो रहा है। इस व्यय के बाकी 30 प्रतिशत भाग का एक काफी बड़ा हिस्सा आवश्यक अनुरक्षण, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों पर खर्च होता है। इसके अलावा, राज्यों के आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण राज्यों को इस संबंध में अपेक्षाकृत अधिक राशियां अन्तरित की जाती हैं।

12. पिछले कुछ वर्षों में, हम वार्षिक आयोजना में की गई भारी वृद्धियों की वित्त व्यवस्था आंतरी और भीतरी दोनों प्रकार के ऋणों से करते रहे हैं। किन्तु यह स्थिति अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। हमें केन्द्र और राज्यों के बजटीय व्यय में काट-छांट शुरू करनी ही होगी, चाहे वह कष्टकर क्यों न हो, ताकि एक निश्चित समयावधि में आवश्यक संसाधन किये जा सकें।

13. अधिक तेजी से औद्योगीकरण करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास करने और धन तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये सरकारी क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन वर्षों में सरकारी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है और अब उच्च प्राथमिकता के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इसके भावी विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में आंतरिक संसाधन उत्पन्न किये जायें। हमारे संयंत्रों की क्षमता को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में पूंजी-निवेश के स्तरों को बढ़ाना तभी संभव होगा जब कि विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग हो और पिछले निवेशों पर पहले से अधिक प्रतिफल मिले। सातवीं आयोजना में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

14. भुगतान-शेष की स्थिति में अभी हाल ही में जो सुधार हुआ है वह संतोष का विषय है। तथापि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। छठी आयोजना में जो तत्व हमारे लिये अनुकूल रहे हैं उनमें से कुछ सातवीं आयोजना में उतने जोर से सक्रिय नहीं रहेंगे। पिछले पांच वर्षों के दौरान तेल के उत्पादन में करीब 180 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि हुई थी; हो सकता है कि भविष्य में उसी दर से वृद्धि न हो। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की आगामी अदायगियों में भी तेजी से वृद्धि होगी।

15. विश्व की अर्थव्यवस्था में हाल में हुई घटनाओं के कारण न केवल विकास के लिये बाहरी संसाधनों की उपलब्धता में कमी आई है बल्कि उनसे इनकी शर्तें भी स्पष्ट रूप से अधिक कठिन हो गई हैं। बाहरी वाणिज्यिक उधार के वैकल्पिक स्रोत अधिक महंगे हैं। अदृश्य मदों के खाते के अभिशेष में वृद्धि करके काम चला लेने की गुंजाइश भी सीमित है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि हमें भुगतान शेष की प्रबंध योग्य स्थिति का साहस ऋण भार के साथ तालमेल बैठाना है तो हमें निर्यातों की आमदनी से अपने आयातों के अधिकाधिक भाग का वित्त-पोषण करना होगा, ताकि हमारे भुगतान-शेष का घाटा कम हो जाये।

दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बचाने की आवश्यकता के संदर्भ में, यह वांछनीय होगा कि आयात-योग्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को उन क्षेत्रों में बढ़ाया जाए जहां हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह भी आवश्यक है कि कुशल आयात प्रतिस्थापन पर, भौतिक अर्थ में नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से, जोर दिया जाए ताकि लागत और कुशलता संबंधी तत्वों को नीतियों के ढांचे में शामिल कर लिया जाये।

16. कृषि और ग्रामीण विकास हमारे आयोजना कार्य का केन्द्र-बिन्दु है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण, निर्धनता के स्तरों में कमी, रोजगार में वृद्धि, और हमारे भुगतान-शेष में सुधार, ऐसे लक्ष्य हैं जो कृषि में हमारी सफलता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पुराना रेकार्ड अच्छा रहा है जो इस तथ्य को उजागर करता है कि हमारी कृषि संबंधी नीति सही है जिसमें ग्रामीण आर्थिक संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और उर्वरकों का अधिक प्रयोग, और सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना शामिल है। लेकिन अभी तो हर मामले में बहुत कुछ करना बाकी है। हमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, विशेष रूप से धान के मामले में उपज बढ़ाने की समस्या को सुलझाना है। हमें मौजूदा किस्मों की अधिक सघन खेती और नई किस्मों के विकास के द्वारा तेलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की ओर भी विशेष ध्यान देना है। हमें खाद्य तेलों के आयात पर काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और देश में उनके अधिक मात्रा में उत्पादन से अर्थ-व्यवस्था को कई प्रकार का लाभ मिलेगा।

17. सरकार की यह नीति है कि हमारे किसान भाइयों को लाभकारी कीमतें मिलें। गेहूं और चावल जैसी कुछ प्रमुख कृषि-अन्य वस्तुओं के संबंध में कीमत समर्थन कार्यक्रम पहले ही ठीक तरह से चल रहे हैं। सरकार कुछ समय के लिये अन्य महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में, खास तौर से तेलहनों और दालों के संबंध में, प्रभावोत्पादक कीमत समर्थन कार्यक्रम चलाएगी।

18. सूखे या बाढ़ के कारण फसल खराब हो जाने से हमारे किसान भाइयों और उनके परिवारों की जीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये सरकार ने फसल बीमा की एक व्यापक योजना चालू करने का निर्णय लिया है। अबसे सभी फसल ऋणों के लिये एक अन्तर्निहित बीमा-कवच की व्यवस्था होगी। यह बीमा-कवच फसल ऋण के 150 प्रतिशत तक के लिये दिया जायेगा। आरम्भ में, यह योजना गेहूं, धान, तेलहन, और दालों पर लागू होगी। बीमा प्रभार की राशि बहुत कम होगी। सीमान्तिक और छोटे किसानों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा, बराबर-बराबर आधार पर, बीमा प्रभारों की दो-तिहाई सीमा तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है; इसके बारे में अलग से घोषणा की जाएगी।

19. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वत रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम के द्वारा निर्धनता को कम करने में सहायता मिली है और रोजगार के अवसर बढ़ाने के कार्य में योगदान मिला है। सरकार इन विशेष कार्यक्रमों को और सक्षम बनाने और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए वचन-बद्ध है। रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना हमारे विकास प्रयत्नों का मर्म है। अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिए इस समय जो उपाय किए जा रहे हैं उनका रोजगार की स्थिति पर अत्यन्त अनुकूल असर होगा।

20. सरकार एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती है जिसके अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्तिक किसानों, परम्परागत कारीगरों, और अन्य लोगों के निर्धन परिवारों के ऐसे कमाऊ सदस्यों की दुर्घटना से मृत्यु होने का जोखिम का बीमा किया जाएगा जो किसी भी बीमा योजना या कर्मचारी प्रतिकर व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। इस योजना के अंतर्गत, दुर्घटना से मरने वाले व्यक्ति के आश्रितजन को 3,000 रुपए की राशि अदा की जाएगी। शुरू में, यह योजना राज्यों के परामर्श से चुने गए, देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी। मुझे आशा है कि सदन के सभी वर्ग इस योजना का स्वागत करेंगे, जिससे घोर विपदा के समय निर्धनतम परिवारों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

21. मैं सदन को सहर्ष सूचित करता हूं कि कृषि तथा लघु उद्योग सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को 1984-85 के अंत तक दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए जो 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य को सरकारी क्षेत्र के बैंक पार कर चुके हैं। यह इस तथ्य को देखते हुए एक बड़ा भारी उपलब्धि है कि 1969 में, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की राशि 15 प्रतिशत से कम थी। इस समय हमारे सामने यह समस्या है कि पिछले ऋणों की वसूली धीमी गति से हो रही है। माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि ऋण प्रणाली के लिए उसे सौंपा गया काम पूरा करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पिछले ऋणों की वापसी अदायगी में सुधार न हो।

22. औद्योगिक वृद्धि की गति को बढ़ाना भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि औद्योगिक वृद्धि का स्वरूप हमारी सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। हमारा घरेलू बाजार काफी बड़ा है, उद्योग का ढांचा पहले से ही विविधतापूर्ण है और उद्यमकर्तृत्व का आधार भी विकसित हो चुका है। ये हमारे सामर्थ्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हमें लागतों और कीमतों को कम करने का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए, और अपने उद्योग की प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करना चाहिए। इस कार्य के लिए अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाना होगा और उस पर लागत भी आएगी जिसे अदा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले किए गए अनुत्पादक निवेश भविष्य की उत्पादक गतिविधियों के मार्ग में बाधक न बनें। इसके अलावा, भारतीय उद्योग को निवेशों के विलपोषण के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनना होगा। वित्तियन ऐसे हों कि उनसे वृद्धि करने का कार्य सुविधाजनक बने और बदलते हुए बाहरी तथा प्रौद्योगिकीय वातावरण के अनुरूप हों। खास तौर से, राजकोषीय, औद्योगिक और व्यापार-सम्बन्धी नीतियों में अधिक तालमेल लाना जरूरी है।

23. भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहुमुखी कार्यक्रम की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने हाल ही में संसद में कहा था ;

> "हमारे देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं। हमें भारत को आधुनिक बनाना है। हमें भारत के लोगों के सोचने के ढंग को बदलना है, जिससे कि वे भविष्य की ओर देखें और अतीत में ही उलझे न रहें। हमें भारत को प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाना है। हमें एक ऐसे गतिशील देश का निर्माण करना है जो संसार के किसी भी अन्य देश की बराबरी कर सकता हो।"

इस कार्य में हमारा सबसे बड़ा साधन जन-शक्ति है और हमारी सभी नीतियों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा तथा पर्यावरण पर नए सिरे से बल देकर, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इस साधन के सर्वोत्तम उपयोग का प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार किया जाए।

24. अब मैं कुछ ऐसे निर्णयों की घोषणा करता हूं जिनका उद्देश्य औद्योगिक वृद्धि के वातावरण में सुधार लाना और कठिनाइयों को कम करना है। लाइसेंसिंग को समाप्त करने के उद्देश्य से उद्योगों की एक सूची अधिसूचित करने का प्रस्ताव है ताकि उन क्षेत्रों में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब को घटा कर न्यूनतम किया जा सके जहां हम अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना चाहते हैं। 1969 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर.टी.पी.) अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की सीमा निर्धारित किए जाने के बाद से, परियोजनाओं की लागत और आर्थिक आकार में हुई वृद्धि को प्रतिबिम्बित करने के लिए, यह सीमा संशोधित करके 100 करोड़ रुपए

निर्धारित की जा रही है। लघु उद्योगों के क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का और कदम उठाने का प्रस्ताव है। संयंत्र और मशीनों में निवेश की उच्चतम सीमा, जो 1980 में 20 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, बढ़ा कर 35 लाख रुपए की जा रही है। अनुषंगी मदों से सम्बन्धित उच्चतम सीमा को 25 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर 45 लाख रुपए किया जा रहा है। बाद में अपने भाषण में मैं इस क्षेत्र के विकास में सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ राजकोषीय उपायों की घोषणा करूंगा।

25. वित्तीय पक्ष में, मेरा प्रस्ताव निगम क्षेत्र द्वारा बाजार से साधन जुटाए जाने को सुविधाजनक बनाने और सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर इसकी निर्भरता को कम करने के लिए है। एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से भिन्न कम्पनियों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के सपरिवर्तनीय ऋणपत्रों की विपण्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, उनके द्वारा ऐसे निर्गमों पर देय अधिकतम ब्याज को 13 5 से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की प्रतिभूतियों के निर्बाध अन्तरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जा रहा है। इस उपाय से देश भर में फैले हुए छोटे निवेशकर्ताओं को विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा। निवेशकर्ताओं को चुनाव करने का व्यापक अवसर प्रदान करने के लिए, अल्पजनधारित कम्पनियों के शेयरों को सूचीबद्ध कराने की अपेक्षाओं में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन कम्पनियों को अपनी सामान्य पूंजी (इक्विटी) के 40 प्रतिशत भाग की पेशकश 3 वर्षों की अवधि में दो चरणों में करके शेयरों को सूचीबद्ध करने और जनता के पास जाने से पहले अपनी मुक्त धारणीय राशियों के अपेक्षाकृत अधिक बड़े भाग का पूंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। बाजार में विविधता लाने के लिए एक नए प्रकार का शेयर अर्थात् सपरिवर्तनीय सचयी अधिमानी शेयर (कन्वर्टिबल क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर) शुरू किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्गमों की मौजूदा ऊंची लागत को कम करने के लिए बहुत से उपायों की घोषणा अलग से की जा रही है।

26 निगम क्षेत्र को भी हमारे लोकतंत्र के संचालन में, परिभाषित प्रतिमानों के अंतर्गत, अपनी यथोचित भूमिका निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कम्पनियों को अपने मुनाफों में से राजनीतिक दलों की चन्दा देने की अनुमति देने के लिए इस सत्र में आवश्यक विधान लाने का प्रस्ताव है।

27 सरकार का रुग्ण एककों के बारे में एक विशेष विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। एक वित्तीय और औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो एकीकरण और विलय के द्रुतगति तंत्र की व्यवस्था करेगा और अन्य ऐसे समाधान निकालेगा जो बड़े और मध्यम क्षेत्र में रुग्ण एककों की समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी हों। एककों के रुग्ण हो जाने के बारे में रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी स्वयं एककों की होगी, जिनके लिए उस समय शेयरधारियों से नया आदेश प्राप्त करना जरूरी होगा, जब कम्पनी का निवल सम्पत्ति का 50 प्रतिशत भाग क्षीण हो चुका हो। जब कंपनी अपना सम्पूर्ण निवल मूल्य खो देगी तब उस एकक के कारबार का संचालन करने में तत्कालीन प्रबन्धकों और मालिकों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। यह भी प्रस्ताव है कि जिन्हें एकक के कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, उन्हें नए उद्यमों के मामलों में भी वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं होगी। खोटे सिक्कों की तरह अयोग्य प्रबन्धकों को भी चलन से बाहर रखना जरूरी है।

28 औद्योगिक रुग्णता के सबसे अधिक शिकार कामगार होते हैं। लेकिन मौजूदा कानून के अंतर्गत, जब कम्पनियों का परिसमापन होता है तो प्रत्याभूत ऋणदाताओं की तुलना में कामगारों की लेनदारी को निम्न प्राथमिकता दी जाती है। मेरे विचार में, उत्पादन में श्रमिक उतना ही बड़ा घटक है, जितना कि कोई अन्य घटक, और यह अन्यायपूर्ण है कि कामगारों की लेनदारियों को निचली प्राथमिकता मिले। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमने आवश्यक विधान प्रस्तुत करने का निश्चय किया है ताकि कम्पनियों के बन्द होने की स्थिति में, कामगारों को देय वैध राशियों का भुगतान बैंकों जैसे प्रत्याभूत ऋणदाताओं के साथ-साथ किया जाए। इन देय राशियों को सरकारी देनदारियों से भी ऊंची प्राथमिकता मिलेगी। सरकार कम्पनियों के प्रबन्ध में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा भाग लिए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें स्टाक सबंधी विकल्प देने की एक योजना पर भी विचार कर रही है।

29 इस समय बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत जिन मामलों में किसी कर्मचारी का वेतन अथवा मजदूरी 750 रुपए मासिक से अधिक हो तो उस कर्मचारी को देय बोनस की गणना इस प्रकार की जाती है मानो कि उसका वेतन अथवा मजदूरी 750 रुपए मासिक थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 1,600 रुपए प्रति मास करने का प्रस्ताव है। इसकी पात्रता की कसौटी वही बने रहेगी।

30 समूचे नीति-विषयक ढांचे में किए जा रहे परिवर्तनों के अलावा, सरकार कतिपय विनिर्दिष्ट उद्यमों की समीक्षा भी कर रही है ताकि संरचनात्मक असन्तुलना को ठीक किया जा सके। उत्पादन, निर्यात और रोजगार में योगदान की दृष्टि से, कपड़ा उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह उद्योग बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है और उसके ढांचे में परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक है। मैं सूती कपड़ा उद्योग के राजकोषीय ढांचे में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव करूंगा। नई कपड़ा नीति तैयार करने का काम काफी कुछ हो चुका है।

31 इलैक्ट्रानिक उद्योग वास्तव में हमारे जमाने का एक आधुनिक उद्योग है। इस उद्योग के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से, सरकार ने नवम्बर, 1984 में संगणकों (कम्प्यूटर) के लिए कुछ नए उपायों की घोषणा की थी। संघटकों और कच्चे माल के आयात-शुल्क की दरों में भारी कमी की गई थी और अन्तिम उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए संगणकों के आयात नीति को भी उदार बना दिया था। अब इलैक्ट्रानिक उद्योग की अन्य वस्तुओं पर भी यही पद्धति लागू करने का निर्णय किया गया है। नई नीति के ब्यौरे की घोषणा इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा अलग से की जाएगी।

32 अब मैं 1984-85 के संशोधित अनुमानों और 1985-86 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं।

1984-85 के संशोधित अनुमान

33 वर्ष के दौरान बजट के मोर्चे पर कई अप्रत्याशित घटनाएं घटित हुईं। आयोजना भाग में केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक बजटीय व्यवस्थाएं करनी पड़ीं। आयोजना-भिन्न भाग में, रक्षा, खाद्य और उर्वरकों सम्बन्धी आर्थिक सहायता, और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को अदायगी के व्यय में भारी वृद्धि हुई। बाढ़ों और चक्रवातों से प्रभावित राज्यों को अधिक सहायता दी गई और कुछ राज्यों को, जो घोर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे मध्यावधिक ऋण दिए गए। प्राप्तियों के भाग में करराजस्व में कुछ वृद्धि हुई और अल्प बचतों के संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई।

34 केन्द्रीय आयोजना के लिए अब पहले से अधिक अर्थात 11 751 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दिए जाने का अनुमान है जबकि मूल परिव्यय 11,420 करोड़ रुपए का था। मूल बजट के 17,351 करोड़ रुपए की तुलना में, संशोधित केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 17,495 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस समूची राशि के अंतर्गत क्षेत्रीय परिव्ययों में कुछ परिवर्तन किए गए। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना की व्यवस्था में 124 करोड़ रुपए की

वृद्धि की गई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत हुए संवितरणों के आधार पर 152 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, खानों, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, अनाज संग्रह के गोदामों और कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से पैट्रोलियम, कोयला और उर्वरकों के क्षेत्र में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के संशोधित अनुमान कम है। राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के वास्ते बजट में की गई व्यवस्था में भी 153 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है।

35. आयोजना-भिन्न भाग में, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की नौ किस्तें, पेंशनभोगियों को राहत सहित, मंजूर की गई। चालू वर्ष के दौरान इन पर लगभग 715 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जबकि बजट में इसकी तुलना में 300 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था की गई थी। चालू वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत सदर्थ बोनस पर 61 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

36. चालू वर्ष में खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की राशि 850 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,100 करोड़ रुपये हो जायेगी। यह वृद्धि मुख्यतः धान की वसूली कीमत में वृद्धि होने, गेहूं की बिक्री से कम राशि वसूल होने और खाद्यान्नों के भंडार में भारी वृद्धि होने के कारण हुई है। स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि 930 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1,200 करोड़ रुपये हो जायेगी। आयातित उर्वरकों के बारे में आर्थिक सहायता आयात की मात्रा और लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 632 करोड़ रुपये हो जायेगी।

37. बाढ़ों और चक्रवातों से प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली सहायता में 130 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। अल्प बचतों का संग्रह अधिक होने के कारण राज्यों को देय हिस्से में भी 440 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। कृषि-निविष्टियों (इनपुट) की खरीद के लिये राज्यों को ऋण देने के लिये की गई व्यवस्था में 60 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा जिन राज्यों को वर्ष के दौरान गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपये के विशेष मध्यमावधिक ऋण प्रदान किये गये।

38. चालू वर्ष में रक्षा व्यय 6,800 करोड़ रुपये के मूल बजट अनुमानों की तुलना में 7,175 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ब्याज संबंधी अदायगियां 5,600 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों की अपेक्षा 390 करोड़ रुपये अधिक होने की सम्भावना है।

39. सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को भारी नकद हानियां हुई है और उन्हें अतिरिक्त बजटीय सहायता देनी पड़ी है। इन और अन्य परिवर्तनों जिनमें सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में सामान्य पूंजी को ऋणों में बदलने के लिये की गई काल्पनिक (नोशनल) व्यवस्था भी शामिल है, उनके द्वारा सरकार को देय ब्याज के सम्बन्ध में सहायता, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिये जाने वाले अतिरिक्त अंशदान को हिसाब में लेने पर कुल आयोजना-भिन्न व्यय 29,740 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि मूल बजट में 26,066 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

40. कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत, रेलवे से मिलने वाले लाभांश में 211 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है। ऊंची अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण खाद्य तेलों की बिक्री से भी कम मुनाफा होगा। लेकिन, मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को दी गई अतिरिक्त बजटीय सहायता के कारण और कुछ अन्य उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्यों से ब्याज की प्राप्तियां बजट अनुमानों की अपेक्षा 439 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है।

41. जहां तक पूंजीगत प्राप्तियों का सम्बन्ध है मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि वर्ष के दौरान अल्प बचत संग्रह की राशि अब 3,300 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की आशा है जब कि बजट अनुमान 2,400 करोड़ रुपये का था। गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्तियां और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनकी अधिशेष राशियों की जमा के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है। व्यय में वृद्धि के अनुरूप, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी गई विशेष प्रतिभूतियों से होने वाली प्राप्तियों में भी 149 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। राज्य सरकारों से होने वाली अतिरिक्त वसूलियों और अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने पर चालू वर्ष में 17,778 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि मूल बजट अनुमान 16,757 करोड़ रुपये का था।

42. इस प्रकार, अनुमान है कि कुल प्राप्तियां 40,763 करोड़ रुपये से बढ़ कर 42,710 करोड़ रुपये हो जायेंगी। कुल व्यय 42,536 करोड़ रुपये से बढ़कर 46,695 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। इससे बजट में 3,985 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, जबकि मूल बजट में 1,773 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था।

43. यह घाटा उससे अधिक है, जो मैं आदर्श रूप से पसन्द करता। मुझे खुशी है कि कृषि की अनुकूल स्थिति के कारण, अर्थव्यवस्था ने इस घाटे को, कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आत्मसात् कर लिया है लेकिन, आवश्यक सावधानी के तौर पर, हमारे लिये अगले वर्ष घाटे की मात्रा को कम करना जरूरी होगा हालांकि यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने साधनों की सीमाओं में रहता है। उसमें कल्पना का भाव होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अन्दर कल्पना का अभाव है, लेकिन मैं इसे उच्छृंखल भी नहीं होने देना चाहता।

1985-86 के बजट अनुमान

44. चालू वर्ष के साथ ही छठी आयोजना की अवधि भी समाप्त हो रही है। अनुमान है कि छठी आयोजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र का आयोजना व्यय 1,10,000 करोड़ रुपये का होगा, जबकि मूलतः 97,500 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। लेकिन इस अवधि में कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए, वास्तविक रूप में, परिव्यय मूल आयोजना में परिकल्पित व्यय से कम होगा। फिर भी यह सन्तोष की बात है कि अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास की दर के सम्बन्ध में 5.2 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। खाद्यान्नों का उत्पादन आयोजना में निर्धारित लक्ष्य के आस-पास पहुंच जाएगा और कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य से काफी अधिक होगा। बिजली के क्षेत्र में अतिरिक्त संस्थापित क्षमता का निर्माण आयोजना के लक्ष्य से कम हुआ है फिर भी आयोजना के शुरू होने के समय जितनी संस्थापित क्षमता थी उसके 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त क्षमता स्थापित हो जाएगी। सिंचाई के मामले में, क्षमता में लगभग 115 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी जबकि आयोजना-लक्ष्य 137 लाख हेक्टेयर का था।

45. इस समय जबकि हम सातवीं आयोजना का समारम्भ करने जा रहे हैं हमारा मुख्य कार्य पिछले लाभों को पक्का करना और उत्पादकता बढ़ाने के अभियान को नया बल प्रदान करना और इसके साथ-साथ वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिरता की सुनिश्चित व्यवस्था करना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्यों को किए जाने वाले अधिक राशियों के अन्तरण और दिए जाने वाले अनुदानों, और रक्षा तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी अनिवार्य आयोजना-भिन्न व्यय को हिसाब में लेने पर 1985-86 में आयोजना के लिए उपलब्ध होने वाले बजटीय साधन हमारी कुल आवश्यकताओं से काफी कम बैठते हैं।

46. इन साधनों का आबंटन करने के मामले में मैंने विशेष रूप से राज्यों की आयोजनाओं के लिए ज्यादा केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता का ध्यान रखा है क्योंकि अन्यथा बहुत से राज्य महत्वपूर्ण

क्षेत्रों में अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी बचाने की स्थिति में नहीं होंगे । राज्यों की 1984-85 की आयोजनाओं का अनुमोदन करते समय यह आशा की गई थी कि राज्यों के अपने बजट साधनों और उनके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अंशदानों के रूप में 5,740 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी । संसाधन हाल के मूल्यांकन से चालू वर्ष के लेन-देनों में 2,300 करोड़ रुपए की कमी होने का संकेत मिला है ।

47. वर्ष 1985-86 में राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को बढ़ा कर लगभग 6,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है ।, जबकि 1984-85 में यह राशि 4,313 करोड़ रुपए की थी और इस प्रकार पिछले वर्ष केन्द्रीय सहायता में 13 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1985-86 में 39 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है । राज्यों को पहले से अधिक अर्थात् 1,600 करोड़ रुपए के बाजार ऋण देने का भी प्राधिकार किया गया है जो 1984-85 में की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है । अन्य अन्तरणों के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता और बाजार ऋणों में इस वृद्धि से आयोजना के सम्बन्ध में केन्द्र के अपने साधनों में काफी कमी हुई है ।

48. कई राज्यों में चुनावों को देखते हुए राज्यों की वार्षिक आयोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में राज्यों की आयोजनाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी । आयोजना के संबंध में तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय अन्तरणों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए, केन्द्र के साधनों पर पहले से ही काफी दबाव पड़ा हुआ है, और केन्द्र के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ओवरड्राफ्टों का अतिरिक्त भार सहन करना संभव नहीं होगा क्योंकि अन्ततः यह भार आम आदमी को ही उठाना पड़ता है । केन्द्रीय सहायता बाजार ऋणों और अनुबंधित उधारों में काफी वृद्धि होने के बावजूद राज्यों के लिए एक यथोचित आयोजना परिव्यय की व्यवस्था करना तभी सम्भव हो पाएगा, यदि वे अतिरिक्त अधिक साधन जुटाने और राज्यों के उद्यमों के कार्यचालन को सुधारने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास करेंगे ।

49. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 640 करोड़ रुपये का आयोजना परिव्यय निर्धारित किया गया है जबकि 1984-85 में इनके लिए 558 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था । 578 करोड़ रुपए की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की गई है और शेष 62 करोड़ रुपए की राशि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के दौरान अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय करके पूरी की जाएगी ।

50. वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय आयोजना की राशि 18,500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है जबकि 1984-85 में यह 17,351 करोड़ रुपए की थी । साधनों की तंगी को देखते हुए क्षेत्र-वार प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय मैंने यह उचित समझा है कि नई परियोजनाओं को शुरू करने की बजाए उन परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाए जिन्हें पहले से कार्यान्वित किया जा रहा है। मेरी यह भी कोशिश है कि उन परियोजनाओं के लिए अधिक व्यवस्था की जाए जिनके कार्यान्वयन में काफी प्रगति हो चुकी है और जिन्हें अधिक जल्दी चालू किया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को उनके लाभ यथासम्भव शीघ्र प्राप्त होने लगें । अपने भाषण में इससे पहले मैंने कृषि के क्षेत्र के बलिया कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया था । कृषि में निवेश के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय आयोजना में कृषि और सहकारिता विभाग तथा कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिए 790 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। गुना और आंवला के नए उर्वरक कारखानों के लिए जिनकी स्थापना हजीरा-बिजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से लाई जाने वाली बम्बई हाई की गैस के आधार पर की जानी है 165 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

51. केन्द्रीय आयोजना में ग्रामीण विकास के लिए कुल 932 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । राज्यों की आयोजनाओं को अन्तिम रूप दिए जाने तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये लगभग चालू वर्ष जितनी ही व्यवस्था की गई है और जरूरत पड़ने पर उसमें और वृद्धि कर दी जायेगी । सम्माननित सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मंजूरी दी गई है । 1985-86 में इस कार्यक्रम पर 400 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा ।

52. सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली के ढांचे के पुनर्गठन पर जो बल दिया जा रहा है सम्मानित सदस्य उससे भली भांति परिचित हैं । हम एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में लगे हुए हैं । सरकार समूचे देश में उच्च माध्यमिक स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिये वचनबद्ध है । केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिये कुल 221 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें इन नये प्रयासों के लिये की गई व्यवस्था भी शामिल है ।

53. सन् 2000 तक जनन में निवल वृद्धि की शून्य दर प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप, सरकार स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन के एक कल्पनाशील कार्यक्रम को शुरू करेगी । समग्र विकास के सन्दर्भ में, बच्चों की मृत्यु और अस्वस्थता दर को कम करने के प्रभावी प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विशेष महत्व है । परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान के परिणामों का कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के परिव्यय को बढ़ा कर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

54. गांवों में पेय जल की पूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए सरकार ने छठी आयोजना की अवधि में त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम शुरू किया था । सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि छठी आयोजना की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए धन-राशियों का आवंटन, 600 करोड़ रुपए के मूल परिव्यय की तुलना में, 925 करोड़ रुपए से भी अधिक होगा और इससे राज्य इस आयोजना-अवधि में लगभग दो लाख समस्याग्रस्त गावों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने में समर्थ हुए हैं ।

55. भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण और विकास में योगदान देने की विपुल क्षमता है । विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्रालयों तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महासागर विकास और इलेक्ट्रानिकी जैसे विभागों के लिए 1,068 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है ।

56. ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेल पर मौजूदा निर्भरता को धीरे-धीरे बदल कर और मध्यमावधि में उसके स्थान पर कोयले और बिजली के उपयोग की आवश्यकता को काफी महत्व देती है । माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि छठी आयोजना अवधि के अन्त तक 14,000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली के उत्पादन की क्षमता और जुड़ जाएगी । इसका अर्थ यह हुआ कि आयोजना के आरम्भ में जो 28,448 मेगावाट की क्षमता थी उसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अकेले केन्द्रीय क्षेत्र में ही, छठी आयोजना के दौरान 3,350 मेगावाट तक की अतिरिक्त क्षमता और जोड़ दी गई है । 1985-86 में विद्युत विभाग के लिए 2,090 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जबकि 1984-85 के लिए 1,446 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था ।

57. कोयला उत्पादन के क्षेत्र में, 1984-85 के दौरान 14.75 करोड़ मेट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त किए जाने की आशा है । 1985-86 में इसको बढ़ा कर 15.85 करोड़ मेट्रिक टन कर दिया जाएगा । कोयला विभाग के लिए 1,102 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

58. माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित है कि कच्चे तेल के उत्पादन की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है और कच्चे तेल का उत्पादन जो छठी आयोजना के आरम्भ में 114 लाख मेट्रिक टन था, बढ़कर इस वर्ष के अन्त तक 294 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा । 1982-83 में शुरू किए गए त्वरित उत्पादन कार्यक्रम के फलस्वरूप ही यह सम्भव हो पाया है, जिससे बम्बई हाई में वार्षिक उत्पादन जो 1979-80 में 42 लाख मेट्रिक टन का था, बढ़कर अब 203 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गया है । पेट्रोलियम विभाग के लिए 3,261 करोड़ रुपए के

परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय गैस प्राधिकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो कि गैस की पाइपलाइनों का निर्माण करने वाला नव-निर्मित संगठन है।

59. सरकार को हमारे वनों के परिरक्षण की चिन्ता है इसलिए उसने वन और वन्य जीवन विभाग नामक एक नया विभाग की स्थापना की है। इस विभाग के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, जिसमें सामाजिक वनपालन और ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के बागान लगाने के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

60. पर्यावरण विभाग के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें गंगा के प्रदूषण को रोकथाम की परियोजना पर कार्रवाई शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। पर्यावरण संबंधी अन्य प्रमुख कार्यक्रमों का उद्देश्य प्राथमिकता-प्राप्त पर्यावरणिक अध्ययन के लिए उन्नत केन्द्रों की स्थापना के अलावा, जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का परिवीक्षण (मानीटरिंग) करना, अत्यन्त निकृष्ट अथवा कमजोर क्षेत्रों में पारिस्थितिक विकास और अनुसंधान तथा विकास करना है।

61. हालांकि एक काफी बड़ी राशि बंधन-बद्ध आयोजना-भिन्न दायित्व के रूप में राज्यों को अन्तरित की गई है, तथापि केन्द्रीय आयोजना में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को फायदा पहुंचाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 207 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना में केन्द्र के अधिदान को बढ़ाकर 165 करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

62. सरकार ने देश में दूरदर्शन के जाल के विस्तार के लिए जुलाई, 1983 में एक योजना अनुमोदित की थी। इस योजना के अन्तर्गत देश में बहुत से उच्च शक्ति और निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी, ताकि दूरदर्शन के कार्यक्रम देश की 70 प्रतिशत जनता तक पहुंच सकें। 31 मार्च, 1985 तक इन ट्रान्समीटरों की संख्या बढ़कर 180 हो जाएगी। सूचना और प्रसारण के लिए 1985-86 में 110 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

63. वर्ष 1985-86 की वार्षिक आयोजना में जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं उनमें ऊर्जा-सूत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और तेजी आएगी। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र की आयोजना में अगले वर्ष के लिए कुल मिलाकर 4,900 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जो चालू वर्ष के 4,141 करोड़ रुपए की तुलना में 18.3 प्रतिशत अधिक है।

64. अन्त में मैं इस बात पर भरोसा व्यक्त करना चाहूंगा कि आयोजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आवंटनों का ही जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए परियोजनाओं के बेहतर निर्माण और कुशल प्रबंध की भी आवश्यकता होती है। आयोजना को अधिक तेजी से कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कतिपय परिवर्तन करने का विचार है। प्रशासनिक मन्त्रालयों के लिए यह जरूरी होगा कि पूंजी लगाने का निर्णय लेने से पहले वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था कर लें कि परियोजनाएं पूरी तरह से तैयार कर ली गई हैं और कार्यपालक प्राधिकारी उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि परियोजनाओं के लिए बजट व्यवस्था किए जाने से पहले विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए। वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप देने और लेखानुदान प्राप्त करने के कार्य को कुछ समय पहले सम्पन्न करने के उपायों पर विचार भी किया जा रहा है ताकि वित्तीय वर्ष शुरू होने से काफी पहले ही यह पता चल सके कि कितनी धनराशियां उपलब्ध होने वाली हैं। इन उपायों से पूरे वर्ष के दौरान परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक समान रूप से चलता रहेगा और वर्ष के अन्तिम दिनों में एक साथ इकट्ठा व्यय करने से बचा जा सकेगा।

65. आयोजना-भिन्न व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। अगले वर्ष के बजट में, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को अधिक धनराशियों के अन्तरण की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान देने के लिए 1,215 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जबकि 1984-85 के बजट अनुमानों में 518 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी।

66. अगले वर्ष रक्षा व्यय के लिए 7,686 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें रक्षा सम्बन्धी पैंशन शामिल नहीं है। ऋण की राशियों और उनकी लागत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ब्याज की अदायगियों के लिए 7,075 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। खाद्य पर आर्थिक सहायता के लिए 1,100 करोड़ रुपए, घरेलू उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लिए 1,200 करोड़ रुपए और आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लिए 601 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निर्यात प्रोत्साहन और बाजार विकास के लिए 530 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। दूर-संचार सेवाओं से डाक सेवाओं को अलग कर दिए जाने के परिणामस्वरूप अगले वर्ष के बजट के सिविल अनुमानों में डाक सेवाओं के खाते में 187 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। अन्य बचतों की अधिक राशियां इकट्ठी होने के कारण, इन राशियों के आधार पर राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की राशि 2,375 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।

67. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों, पेंशन संबंधी राहत, आदि की अदायगी के लिए 1985-86 में 300 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था की गई है। छठी आयोजना की अवधि में पूरी की गई आयोजनागत योजनाओं के वचन-बद्ध व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं और अन्य व्यवस्थाओं को हिसाब में लेते हुए, अनुमान है कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 29,740 करोड़ रुपए के मुकाबले में, 1985-86 में 32,786 करोड़ रुपए का आयोजना-भिन्न व्यय होगा।

68. अब मैं एक ऐसे मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित है। मुझसे पूर्ववर्ती माननीय वित्त मंत्री जी ने 1983-84 के बजट में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। यह आयोग जो जुलाई, 1983 में नियुक्त किया गया था अभी तक अपना काम कर रहा है। इस बीच बहुत से सरकारी कर्मचारी ऊंचे पेंशन का लाभ पाए बिना ही सेवा-निवृत्त हो गए हैं जिसकी उन्हें आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप मिलने की आशा थी। इस समय, पेंशन की राशि निर्धारित करते हुए कर्मचारी के वेतन और उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 320 के औसत स्तर तक के सब कुल महंगाई भत्ते के अंश को हिसाब में शामिल किया जाता है। महंगाई भत्ते की अन्तिम किस्त उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 568 के औसत स्तर के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है। 31 मार्च, 1985 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राहत देने के उपाय के रूप में अब मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 568 के औसत स्तर के अनुसार स्वीकृत समस्त महंगाई भत्ते की राशि को, सेवा-निवृत्ति लाभ के प्रयोजन के लिए, वेतन माना जाए। साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि पेंशन के मामले में 1,500 रुपए प्रति मास की वर्तमान उच्चतम सीमा को हटा लिया जाए और मृत्यु-एवं सेवा निवृत्ति उपदान की उच्चतम सीमा 36,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया जाए। मुझे इस विषय में मुझसे सहमत होगा कि जिन लोगों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्षों को देश की सेवा में समर्पित किया हो वे अवश्य ही उस सहायता के पात्र हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं।

69. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है करारोपण के मौजूदा स्तरों पर 25,514 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष में इसका अनुमान 23,702 करोड़ रुपए का है। करों में राज्यों का हिस्सा चालू वर्ष के 5,777 करोड़ रुपए की तुलना में 6,592 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें से 487 करोड़ रुपए की वृद्धि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगले वर्ष से बुनियादी उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के हिस्से को 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत किए जाने के कारण हुई है। रेलवे से मिलने वाला लाभांश चालू वर्ष की तुलना में 303 करोड़ रुपए अधिक होगा।

70. बाजार ऋणों से चालू वर्ष के 4,100 करोड़ रुपए की तुलना में 5,100 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। अल्प बचतों के संग्रह की राशि चालू वर्ष के 3,300 करोड़ रुपए की तुलना में 3,900 करोड़ रुपए आंकी गई है। वापसी अदायगी की राशि को घटाने के बाद निवल विदेशी सहायता की राशि चालू वर्ष के 2,146 करोड़ रुपए की तुलना में 2,510 करोड़ रुपए होगी। इन प्राप्तियों और प्राप्तियों में होने वाली अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने पर, 1985-86 में कुल 47,635 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इन प्राप्तियों में रेल किरायों और भाड़ों में किए जाने वाले संशोधन के प्रभाव को हिसाब में ले लिया गया है। कुल व्यय अनुमानतः 51,295 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार, करारोपण की वर्तमान दरों पर बजट में कुल मिलाकर 3,660 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

भाग ख

71. बजट तैयार करना एक वार्षिक अनुष्ठान है, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए यह जरूरी है कि इसे एक अधिक लंबी कालावधि के संदर्भ में तैयार किया जाए। हमारी राजकोषीय प्रणाली हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से वस्तुगत परिस्थितियां बदल गई हैं, जिनके संबंध में नए व्यवहार की आवश्यकता है। मैं यह भलीभांति जानता हूं कि सभी परिवर्तन एक-साथ करना संभव नहीं है, फिर भी हमें सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समयावधि में पूरा किया जा सके। हम एक ऐसी दीर्घावधिक राजकोषीय नीति तैयार करने की दिशा में अग्रसर होंगे, जिसका कार्य-काल आयोजना के साथ समाप्त होता हो। मैं बजट सत्र समाप्त होने के बाद इस विषय पर विचार-विमर्श शुरू करने की आशा करता हूं।

72 प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है : विकास, उत्पादकता और बचत के वातावरण का निर्माण करना। प्रत्यक्ष कराधान की जो प्रणाली इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है, उससे कर-अनुपालन भी बेहतर होगा और वह अधिक न्यायोचित भी होगी।

73 वैयक्तिक आय-कर के संबंध में हमारी पद्धति इस प्रकार है। सर्वप्रथम वैयक्तिक आय-कर की दरों को पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए और उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि दर-ढांचा सरल और तर्कसंगत हो जाए। कर-ढांचे की प्रगामिता को बनाए रखते हुए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वैयक्तिक आय और धन पर करों की दरों का संयुक्त प्रभाव प्रतिकूल न हो। दूसरे, छूट-सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि छोटे कर-निर्धारण के मामले, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है, समाप्त कर दिए जाएं और निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों को राहत प्रदान की जाए। तीसरे, कर-ढांचा स्थिर होना चाहिए। चौथे, कर-अपवंचन को कम करने के काम में प्रशासनिक तंत्र का अधिक कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, कर-निर्धारण में अधिक जोर, बहुत अधिक संख्या में विवरणियों की नेमी जांच पर दिए जाने की बजाए, नमूने के तौर पर कुछ मामलों की गहरी छानबीन करने पर दिया जाना चाहिए। पांचवें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि करअपवंचन का पता लगने पर तुरन्त और कड़ा दंड दिया जाए। छठे, यदि किसी कर की उपयोगिता समाप्त हो गई हो तो, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही प्रशंसनीय क्यों न हो, उसे संविधि-पुस्तक में से हटा दिया जाना चाहिए।

74 भारत में निगम-कर की सांविधिक दर ऊंची है, लेकिन विभिन्न छूटों के कारण उसकी प्रभावी दर काफी कम है। हालांकि प्रत्येक छूट का कोई न कोई औचित्य होता है, लेकिन, कुल मिलाकर, इन सभी छूटों का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि कर-आधार संकुचित हो जाता है। इसके अलावा, मौजूदा प्रणाली से भिन्न-भिन्न करदाताओं पर बहुत भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। इस पेचीदा प्रणाली ने कभी खत्म न होने वाली मुकदमेबाजी को जन्म दिया है और इससे हिसाब-किताब बनाने वालों, और उनकी जांच करने वालों को मनचाही करने की व्यापक छूट मिली हुई है।

75. निगम कराधान के क्षेत्र में चालू वर्ष के संबंध में मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य कुछ छूटों को समाप्त करके और दरों को युक्तिसंगत बनाकर इनकी दिशा में परिवर्तन लाना है। फिलहाल, मैं अपनी पूरी संगिज्ञ तय नहीं कर रहा हूं, अंशतः राजस्व संबंधी अपेक्षाओं के कारण से और अंशतः इस कारण से कि अब जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जा रहा है, मैं उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों के विचारों से लाभ उठाने के लिए, मैं निगम-करों के संबंध में कुछ प्रस्ताव रखूंगा, जिन्हें अगले दो वर्षों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। मेरा विचार है कि इन मुद्दों पर खुलकर वाद-विवाद होना जरूरी है ताकि हम जो निर्णय लें वे सही हों। मैं वित्त विधेयक पर होने वाले वाद-विवाद पर अपना उत्तर देते समय इस बारे में सरकार के निर्णयों की घोषणा करूंगा ताकि इस विषय पर कोई अनिश्चितता न रहे।

76. जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, मेरा तात्कालिक कार्य ऐसे परिवर्तन करना है, जिनसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में निवेश की लागत में कमी हो, लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिले और कतिपय अन्य विकृतियां दूर हों। वर्ष के दौरान, मैं ऐसे अन्य अपेक्षित परिवर्तनों पर विचार करूंगा, जिनसे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अर्थव्यवस्था के और आगे विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सके।

77 मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार, बिना किसी भय या पक्षपात के, अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है, और जो लोग कर-अपवंचन अथवा अन्य आर्थिक अपराध करेंगे वे अपने आपको खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे।

78. अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर आता हूं। पहले मैं प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र के प्रस्तावों को लूंगा।

79. मैं वैयक्तिक आय-कर की छूट-सीमा को 15,000 रुपए बढ़ा कर 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके फलस्वरूप लगभग 40 लाख करनिर्धारितियों में से करीब 10 लाख निर्धारितियों को कोई आय-कर नहीं देना पड़ेगा।

80. मेरा वैयक्तिक आय की दर-अनुसूची का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव भी है। 18,000 रुपए के "शून्य" दर खंड के बाद, 18,001 रुपए से 25,000 रुपए तक के खंड पर आय-कर की दर 25 प्रतिशत होगी; 25,001 रुपए से 50,000 रुपए तक के खंड पर 30 प्रतिशत की दर, 50,001 रुपए से 1 लाख तक के खंड पर 40 प्रतिशत की दर, और 1 लाख रुपए से अधिक की आय पर 50 प्रतिशत की दर लागू होगी। नई दर-अनुसूची के अनुसार, आय के सभी स्तरों पर कर में कमी होगी। 20,000 रुपए की कर-योग्य आय पर नई दर-अनुसूची के अंतर्गत कर-राहत, चालू दरों पर लगने वाले आय-कर के 50 प्रतिशत के बराबर होगी; 25,000 रुपए की कर-योग्य आय पर 22 प्रतिशत राहत प्राप्त होगी; 50,000 रुपए की कर-योग्य आय पर 18 प्रतिशत राहत मिलेगी और 1 लाख रुपए की आय पर 17 प्रतिशत राहत मिलेगी। करों की दरों के खंडों को आठ से घटा कर चार कर दिए जाने से दर अनुसूची सरल हो जाएगी। ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंबों पर, लागू होने वाली दर-अनुसूची को भी, जिनके एक या एक से अधिक सदस्य का अलग आय छूट की सीमा से अधिक हो, परिणामतः पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

81. मैं सभी श्रेणियों के विभिन्न करदाताओं के मामले में आय-कर पर अधिभार को समाप्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

82 प्रस्तावित संशोधनों से, वैयक्तिक आयों पर आय-कर की अधिकतम सांविधिक दर 61.875 प्रतिशत से घट कर 50 प्रतिशत हो जाएगी। वस्तुतः, कर की औसत दर इससे भी कम होगी।

83. कर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्तावों से 1985-86 के वित्तीय वर्ष में राजस्व में आय-कर के संबंध में 200 करोड़ रुपए और अधिभार के संबंध में 197 करोड़ रुपए की हानि होने का हिसाब लगाया गया है। लेकिन, कर की दरों में कमी होने के परिणामस्वरूप जो बेहतर अनुपालन होगा, उसे हिसाब में लेने पर वास्तव में 197 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है, और वह भी अधिभार के मामले में। यह समूची हानि केन्द्र के खाते में होगी।

84. हमारे चुनाव-घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए, करदाताओं से संबंधित अनिवार्य जमा योजना को 1 अप्रैल, 1985 से समाप्त किया जा रहा है। किंतु, अर्थोपाय संबंधी समग्र स्थिति को देखते हुए, मेरा यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि पहले जमा की गई राशियों से संबंधित उन किस्तों और ब्याज की वापसी अदायगियां एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएं, जो अन्यथा वर्ष 1985-86 में देय होंगी। अदा न की जाने वाली राशि पर ब्याज जमा होता रहेगा और वह 1986-87 में वापसी-अदायगी के लिए देय किस्तों के साथ वापस उस वर्ष अदा कर दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आज सायं एक अलग विधेयक प्रस्तुत करने का मेरा विचार है।

85. धन-कर के ढांचे की जांच अनेक उच्च-शक्तिप्राप्त निकायों द्वारा की गई है, जिनमें संसद की प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति भी शामिल हैं। उनके द्वारा अनेक सुझाव दिए गए हैं, ताकि धन-कर की प्रणाली को ऐसा बनाया जा सके जिससे कि अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को बढ़ावा देने में अधिक सहायता मिले। कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए, 1,50,000 रुपए की मौजूदगी बुनियादी छूट-सीमा को भी अपर्याप्त समझा गया है। यह स्मरण रहे कि 1 लाख रुपए की सीमा काफी पहले अर्थात् 1964 में निर्धारित की गई थी। इन बातों पर विचार करते हुए, मैं धन-कर की छूट-सीमा को बढ़ाकर 2,50,000 रुपए करने और 2,50,000 रुपए तक के निवल धन के संबंध में "शून्य" दर खंड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा धन-कर की दर-अनुसूची को पुनर्गठित करने का भी प्रस्ताव है। नई दर-अनुसूची के अंतर्गत, 2,50,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक के खंड पर धन-कर की दर 1/2 प्रतिशत, 10,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक के खंड पर 1 प्रतिशत, और 20,00,000 रुपए से ऊपर के खंड पर 2 प्रतिशत होगी। इस प्रकार, अधिकतम सीमांतिक दर 6 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह जाएगी। मेरा ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंबों पर लागू होने वाली दर-अनुसूची को भी पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है, जिनके एक या एक से अधिक सदस्य के पास, स्वतंत्र रूप से, छूट की सीमा से अधिक धन हो।

86. एक मकान के 2 लाख रुपए तक के मूल्य को धन-कर से छूट प्राप्त है। करदाता को 2,65,000 रुपए तक के कुल मूल्य की विनिर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में भी धन-कर से छूट पाने का हक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और राष्ट्रीय जमा योजना के अंतर्गत जमा राशियों के संबंध में 35,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाती है। मैं इन अलग-अलग छूट-सीमाओं के स्थान पर, जो कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की हैं, इन सभी परिसंपत्तियों के संबंध में 5 लाख रुपए की समेकित छूट-सीमा रखने का प्रस्ताव करता हूं।

87. धन-कर से संबंधित मेरे प्रस्तावों से 1985-86 के वित्तीय वर्ष में कोई हानि नहीं होगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 1986-87 में 70 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है, फिर भी मुझे आशा है कि बेहतर कर-अनुपालन से कुछ समय पाकर राजस्व में कोई हानि नहीं होगी।

88. चूंकि धन-कर और संपदा-शुल्क दोनों से संबंधित कानून एक ही व्यक्ति की संपत्ति पर लागू होते हैं—धन-कर उसकी संपत्ति पर उसकी मृत्यु से पहले लागू होता है और संपदा-शुल्क उसकी मृत्यु के बाद—इसलिए एक ही संपत्ति के संदर्भ में दो अलग-अलग कानूनों के अस्तित्व से करदाताओं और मृत व्यक्ति के उत्तरदाधिकारियों को प्रक्रिया संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें दो भिन्न-भिन्न कानूनों के उपबंधों का पालन करना पड़ता है। दोनों कानूनों के सापेक्षिक गुणावगुणों पर विचार करने के बाद, मेरा मत है कि संपदा -शुल्क से वे दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए, जिनके लिए यह लागू किया गया था, अर्थात् धन के असमान वितरण को कम करना और राज्यों को उनकी विकास योजनाओं के वित्तपोषण में सहायता देना। संपदा-शुल्क से केवल लगभग 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके प्रशासन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 16 मार्च, 1985 को या उसके बाद होने वाली मृत्युओं पर संक्रांत होने वाली संपदाओं के संबंध में संपदा-शुल्क समाप्त कर दिया जाए। मैं इस प्रयोजन के लिए यथासमय समुचित विधान प्रस्तुत करूंगा।

89. मैंने अपने भाषण में इससे पहले कतिपय उपायों का उल्लेख किया था जो सरकार औद्योगिक और अन्य कामगारों के लाभ के लिए करने का प्रस्ताव करती है। इन उपायों में से कुछ उपाय हैं :—कंपनियों के बंद हो जाने की स्थिति में कामगारों को देय राशियों को प्रत्याभूत लेनदारों जैसी ही प्राथमिकता देने का प्रस्ताव, बोनस की सीमा में प्रस्तावित वृद्धि और कर्मचारियों तथा कामगारों के लिए एक स्टाक विकल्प सोजना की शुरूआत वैयक्तिक कराधान की छूट-सीमा को बढ़ा दिए जाने से, अधिकांश औद्योगिक कामगारों को कोई आय-कर नहीं देना पड़ेगा उनको कुछ और राहत देने के उपाय के रूप में, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उनको प्राप्त होने वाली छंटनी संबंधी मुआवजे की कर-मुक्त राशि की अधिकतम मौद्रिक सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए जाए। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले छंटनी संबंधी मुआवजे को पूरी तरह से कर मुक्त रखा जाए : मैं सम्मानित सदस्यों को यह भी बतला दूं कि सरकार एक ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत कामगारों को प्रबंध कार्य में शामिल करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, और यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रयोजन के लिए समुचित राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।

90. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत, वेतनभोगी करदाताओं को उनके नियोजकों द्वारा कतिपय प्रयोजनों के लिए ब्याज की रियायती दरों पर दिए गये ऋणों अथवा ब्याज-मुक्त ऋणों के रूप में प्राप्त होने वाली परिलब्धि पर कर लगता है। वेतनभोगी करदाताओं को और राहत देने के उपाय के रूप में इस व्यवस्था को निरसित करने का प्रस्ताव करता हूं।

91. स्वदेशी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई जानकारी (नो-हाऊ) के लिए उन्हें प्राप्त एकमुश्त प्रतिफल को तीन वर्षों की अवधि में फैलाकर उस पर तदनुसार कर लगाया जाए। मैं एक ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत उद्योग जानकारी प्राप्त करने के लिए अदा किए गए एकमुश्त प्रतिफल को छः वार्षिक किस्तों में अपलिखित (राईट-आफ) कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहां जानकारी सरकारी प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की प्रयोगशालाओं और अन्य मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में विकसित की गई हो, तीन वर्ष की अवधि में अपलेखन की अनुमति दी जाएगी।

92. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों, और शब्द-कोशों आदि के लेखकों को ऐसी पुस्तकों के संबंध में रायल्टी, प्रतिलिप्यधिकार-शुल्क आदि के रूप में प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग की कटौती करने का हक प्राप्त है। यह रियायत चालू निर्धारण-वर्ष के साथ समाप्त हो रही है। ऐसी पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं इस रियायत को और पांच वर्ष तक जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

93. मैं इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास में दिए जाने वाले दान को राष्ट्रीय महत्व की अन्य निधियों में दिए जाने वाले दान के समकक्ष बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एक ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं। जिसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में दिए गए दानों की राशियां 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र होंगी जब कि इस समय उन पर केवल 50 प्रतिशत कटौती करने की अनुमति है।

94. कर-अपवंचकों को सबक सिखाने की आवश्यकता के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को वंडात्मक उपबन्धों से उन्मुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं है जो उसी समय अपनी आय प्रकट करते हैं जब उनको अपराध में फसाने वाली खाता-बहियां और परिसम्परितयां आय-कर विभाग के द्वारा उनके कब्जे में पकड़ ली जाती हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे मामलों में वंडात्मक उपबंधों से उन्मुक्ति देने के लिए कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा किए गए उपबन्धों को हटा दिया जाए।

95. कर-अपवंचकों के विरूद्ध चालू की गई आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में विचारण करने के लिए शक्ति-सम्पन्न विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने का भी मेरा विचार है।

96. कर-परिवर्जन की रोकथाम के उपाय के रूप में, मैं आय-कर अधिनियम की धारा 167 क में मौजूद एक कमी को दूर करने के लिए यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि व्यक्तियों के एक संगम पर अधिकतम सीमान्तिक दर से आय-कर लगेगा, यदि उसकी आय के एक भाग में भी,

सदस्यों का व्यक्तिगत हिस्सा अनर्थधार्य या अज्ञात हो। वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा किए गए एक उपबंध के अंतर्गत, पूर्त और धार्मिक न्यासों द्वारा प्राप्त कारबार-लाभ, कतिपय मामलों को छोड़कर, आय-कर से मुक्त नहीं है। इस उपबंध के अनुरूप, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे न्यासों के कारबार का परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में धन-कर से भी कोई छूट नहीं मिलेगी।

97 अब मैं निगम-कर से संबंधित प्रस्तावों की ओर आता हूं।

98. वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए, मैं कंपनियों पर लागू होने वाले आय-कर की बुनियादी दरों में 5 प्रतिशत अंशों की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय, अल्पजन-धारित औद्योगिक कंपनियों पर, अन्य अल्पजन-धारित कंपनियों की तुलना में, कम दर पर कर लगता है। मैं व्यापारिक और निवेश-संबंधी कंपनियों को छोड़कर, बाकी सभी अल्पजन-धारित कंपनियों के लिए एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके फलस्वरूप, अल्पजन-धारित कंपनियों की कतिपय श्रेणियों के मामले में आय-कर की बुनियादी दर 65 प्रतिशत से 10 प्रतिशत अंश कम होकर 55 प्रतिशत रह जाएगी। इससे, खासतौर से, ऐसी कंपनियों को लाभ पहुंचेगा जो रोजगार-प्रधान कार्यकलाप चलाती हैं, जैसे कि परामर्श और विज्ञापन सेवाएं और पर्यटन संवर्धन सेवाएं।

99. निगम और निगम-भिन्न दोनों क्षेत्रों के लिए कर की दरों में प्रस्तावित कमी के साथ-साथ कुछ रियायतों को वापस लेना भी जरूरी होगा। 1980 में की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत, 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक की पांच वर्ष की अवधि में संस्थापित मशीनरी और संयंत्र के संबंध में अतिरिक्त मूल्यह्रास स्वीकार किया जाता है। चालू निर्धारण वर्ष से कर की दरों में प्रस्तावित कमी और मूल्यह्रास की छूट की सामान्य दर में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि के संदर्भ में, मैं 31 मार्च, 1985 के बाद संस्थापित मशीनरी और संयंत्र के संबंध में अतिरिक्त मूल्यह्रास की स्वीकृति को आगे जारी रखना आवश्यक नहीं समझता।

100. एक वर्तमान उपबंध के अन्तर्गत, कंपनियों और सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों पर किया गया व्यय, उनके कर-योग्य मुनाफों का निर्धारण करते हुए हिसाब में नहीं लिया जाता। हालांकि उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय रियायत देना सही उपाय नहीं है। इसलिए मैं इस रियायत को सदैव करने का प्रस्ताव करता हूं। सिवाय उन कार्यक्रमों के संबंध में जो 17 मार्च, 1985 से पहले विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। पुस्तकों के प्रकाशन से प्राप्त मुनाफों के संबंध में अनुमत कर-छूट को, जो निर्धारण-वर्ष 1985-86 के साथ समाप्त हो जाएगी, आगे जारी रखने का प्रस्ताव नहीं है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय कंपनियों द्वारा कतिपय विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांशों के संबंध में दी जा रही कर संबंधी रियायत को वापस ले लिया जाए।

101. इस समय कर छुट्टी की रियायत उन औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध है जो 1 अप्रैल, 1985 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगे; इस तारीख से पहले कार्य शुरू करने वाले होटल और उपयोग में लाए जाने वाले जहाज भी इस रियायत के पात्र हैं। मैं इस रियायत को और पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

102. निर्यात के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समूची अर्थव्यवस्था में भी, हमारे निर्यातकर्ताओं की उत्पादकता और कार्य-कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि उन्हें आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिक स्तरवर्द्धन, उत्पाद विकास और अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं आय-कर अधिनियम की धारा 80ज्जज्ज के अन्तर्गत दी जा रही कर सम्बन्धी रियायत के स्थान पर एक नई व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत, निर्यातकर्ताओं को उनके निर्यात से हुए मुनाफों की 50 प्रतिशत तक की राशि की कटौती करने का हक होगा और इस राशि को एक आरक्षित खाते में जमा करना होगा जिसका उपयोग उनके कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

103. चाय उद्योग द्वारा नई मशीनरी, नए पौधारोपण और पौधों के पुनरारोपण आदि में निवेश करने के प्रयोजनों के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि भारत में चाय उगाने और उसका विनिर्माण करने के कारबार में लगी हुई कंपनियों को उनके मुनाफों की 20 प्रतिशत राशि तक की कटौती करने का हक होगा; यह राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास एक विशेष खाते में जमा करानी होगी। इस खाते में से रकमों की निकासी चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ही करने की अनुमति होगी।

104. बैंकों की बढ़ती हुई सामाजिक बचतबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनके पास अधिक धनराशियां छोड़ने के उद्देश्य से, मैं 31 मार्च, 1985 के बाद उत्पन्न होने वाले ब्याज के संबंध में ब्याज कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एक ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत बैंक अपने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कर की कटौती-योग्य व्यवस्थाएं कर सकेंगे जिनकी राशि मुनाफों की रकम के 10 प्रतिशत के बराबर या उनकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गये कुल अग्रिमों के औसत के 2 प्रतिशत के बराबर की राशियों में से जो भी अधिक होगी उस तक हो सकेगी।

105. मैं उन उपबन्धों को भी समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं जो विज्ञापन, प्रचार और बिक्री-संवर्धन पर, वायुयान और मोटरकारों के संचालन और अनुरक्षण और होटलों को की गई अदायगियों पर, 1,00,000 रुपए से ऊपर हुए व्यय के 20 प्रतिशत भाग की अस्वीकृति के बारे में हैं। गैर-बैंककार और गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से जमा ली गई रकमों पर उनके द्वारा अदा किए गए ब्याज के 15 प्रतिशत भाग की अस्वीकृति से संबंधित उपबंध को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है।

106. वर्तमान रियायतों में से कुछ को वापस लेने के असर और आय-कर अधिनियम की धारा 80ज्ज के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के प्रभाव को हिसाब में लेते हुए, निगम क्षेत्र पर लगने वाले कर में राहत देने के मेरे प्रस्तावों के कारण 1985-86 में राजस्व में होने वाली हानि अधिप्रतिसन्तुलित हो जाएगी।

107. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मेरे द्वारा प्रस्तावित अन्य परिवर्तन अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं। मैं इस समय उनका विशद विवेचन करने में सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा।

108. अब मैं निगम-कर के चरण-बद्ध सुधार से संबंधित अपने प्रस्ताव की ओर आता हूं। जिसके बारे में मैंने अपने भाषण के पहले भाग में कहा था।

109. योजना के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि सभी श्रेणियों की कम्पनियों के मामले में आय-कर की बुनियादी दर में, अगले वर्ष, 5 प्रतिशत अंशों की और कमी की जाएगी। तीसरे वर्ष में, कंपनियों द्वारा देय आय-कर पर अधिभार बंद करने और अतिकर को खत्म करने का मेरा प्रस्ताव है। इसके साथ ही, अगले दो वर्षों में चरण-बद्ध तरीके से निवेश संबंधी छूट की स्वीकृति को भी बंद करने का मेरा प्रस्ताव है। हो सकता है कि निवेश संबंधी छूट को वापस लेने से, उच्च वृद्धि वाले पूंजी-प्रधान उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तथापि निगम-कर में सामान्य कमी किए जाने से मुनाफे की अधिक राशियां इकट्ठी होंगी जिससे सभी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। उपर्युक्त प्रस्ताव का एक विकल्प यह है कि निगम-कर और अधिभार की दरों में कोई और कमी न करते हुए निवेश-संबंधी छूट को जारी रखा जाए, इस संबंध में सम्मानित सदस्य कृपया अपने विचारों से अवगत कराएंगे; मैं उनका आभार मानूंगा।

110. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं।

111. पहले मैं सीमा-शुल्कों को लूंगा; इस सम्बन्ध में मेरा प्रमुख प्रस्ताव कच्चे (क्रूड) पेट्रोलियम के बारे में है; माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के बजट के कच्चे पेट्रोलियम पर सहायक शुल्क को 9.50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन कर दिया गया था। मैं इसे 300 रुपए प्रति मेट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कच्चे पेट्रोलियम पर 10 प्रतिशत का मूल्यानुसार बुनियादी सीमा-शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 620 करोड़ रुपए का राजस्व-प्राप्ति होने का अनुमान है। इस कारण और अन्य बातों का वजह से पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंटों के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। अन्य मामलों में, मैं 31 मार्च, 1986 तक सहायक शुल्कों को मौजूदा दरों पर जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

112. स्वदेशी बेयरिंग उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उपाय के रूप में, मैं बाल और रोलर बेयरिंगों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क में, मौजूदा दरों के 50 प्रतिशत के बराबर की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

113. इन वर्षों में, परियोजना-आयातों पर लागू होने वाले शुल्क की दर में वृद्धि हुई है और यह 65 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पूंजीगत लागत को कम करने के उद्देश्य से, मैं परियोजना-आयातों पर लागू होने वाली 65 प्रतिशत की मौजूदा सीमा-शुल्क की दर को सामान्य रूप से घटाकर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार करने और विद्युत परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले आयातों पर 25 प्रतिशत की निचली दर की व्यवस्था करने और उर्वरक परियोजनाओं के लिए उपस्करों को शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं परियोजना आयातों को 45 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर को सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंज नेट-वर्क परियोजना के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इन उपायों से राजकोष को एक पूरे वर्ष में कुल 290 करोड़ रुपए की हानि होगी।

114. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के बजट में कागज उद्योग के लिए आयातित लकड़ी की लुगदी और लकड़ी की खपच्चियों (वुड चिप्स) के सीमा-शुल्क को घटाकर क्रमशः 30 प्रतिशत और "शून्य" कर दिया गया था हमारे वन संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के उपाय के रूप में, मैं आयातित लुगदी और खपच्चियों को पूर्णतः शुल्क-मुक्त करने और यह रियायत सभी उपयोगकर्ता उद्योगों को देने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ विनिर्दिष्ट स्वरूपों की लकड़ी पर लगने वाले सीमा-शुल्क को 100 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानसार करने का भी प्रस्ताव है। इन रियायतों से एक पूरे वर्ष में राजस्व में लगभग 17.70 करोड़ रुपए की हानि होगी।

115. मेरी टोकरी के सभी प्रस्तावों को कच्चा (क्रूड) या लकड़ीला (बुडन) नहीं कहा जा सकता। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं पवन-प्रचालित बिजली के जनित्रों और पवन-प्रचालित बैटरी चार्जरों के संबंध में सीमा-शुल्क की पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। प्रदूषण-निरोधक प्रतिमानों को लागू करने में सहायता देने के उद्देश्य से, मैं निष्कामित गैस विश्लेषकों और धुएं के मीटरों (स्मोक मीटर) पर सीमा-शुल्क घटाने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन रियायतों से राजस्व में 7.54 करोड़ रुपए की कमी होगी।

116. अब मैं ऐसे उपायों का प्रस्ताव करता हूं, जिनका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। मैं बारह मदों पर, जिनमें कच्चा लोहा, कच्चा मेंगनीज, कपास, कच्चा क्रोमाइट और उसके सान्द्रण (कान्सेन्ट्रेट), पशु आहार, मेंगनीज डाइआक्साइड, सिली-मेनाइट, मूंगफली की तेल-रहित खली, कच्चा ऊन, कायनाइट और ब्रिज अभ्रक शामिल है, लगने वाले निर्यात-शुल्कों को हटा रहा हूं। इन निर्यात-शुल्कों को हटा लिए जाने से, अब केवल चार वस्तुओं, अर्थात् कार्फ, अनिर्मित तम्बाकू ब्रिज अभ्रक से भिन्न अभ्रक और खालों तथा चमड़ियों पर निर्यात-शुल्क लगेगा। इस प्रस्ताव से राजस्व पर 15.05 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

117. निर्यात के क्षेत्र में चमड़ा उद्योग की सम्भावनाओं को देखते हुए, मैं इस उद्योग के संबंध में एकमुश्त कई प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। मैं चमड़े का प्रसंस्करण करने वाले, जूतों और चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले अन्य उद्योगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विनिर्दिष्ट मशीनों पर सीमा-शुल्क को 81.5 प्रतिशत के सामान्य स्तर से घटाकर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कच्ची खालों और चमड़ियों, पपड़ा वाले चमड़े (क्रस्ट लेदर) और तैयार पशु-चमड़े को आयात-शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। वेट ब्लू चमड़े पर मिलने वाली मौजूदा रियायत दीर्घ-कालिक आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। चमड़े का प्रसंस्करण करने वाले उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाटल एक्स्ट्रेक्ट पर आयात-शुल्क को 87 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 20.07 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा।

118. पिछले बजट में और जनवरी, 1985 में रत्नों और आभूषणों से सम्बन्धित मशीनों के आयात पर कुछ रियायतें दी गई थीं। मैं अब रत्नों और आभूषणों की मशीनों के कतिपय संघटकों और उन मशीनों के प्रचालन के लिए आवश्यक कुछ औजारों के मामले में भी यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से राजस्व पर 53 लाख रुपए का प्रभाव पड़ेगा। पिछले बजट में खाद्य और मांस का प्रसंस्करण और उन्हें पैकेजबन्द करने वाली मशीनों का कुछ विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में जो रियायतें दी गई थीं, मैं उन्हें जारी रखने का भी प्रस्ताव करता हूं।

119. ऊनी कपड़ा उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं कच्चे ऊन पर सीमा-शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस राहत से राजकोष को एक पूरे वर्ष में 4.80 करोड़ रुपए की हानि होगी।

120. माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ महीने पहले सरकार ने एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ईंधन का बचत करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण के लिए आयात किए जाने वाले संघटकों के संबंध में सीमा-शुल्क की 45 प्रतिशत की रियायती दर लागू की थी। मैं इस रियायत को ऐसे वाहनों के वारंटी संबंधी अतिरिक्त कल-पुर्जों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। वाणिज्यिक वाहनों के हिस्सों का उत्पादन देश में किए जाने में सहायता देने के लिए, मैं विनिर्दिष्ट अनुषंगी उद्योगों द्वारा आयातित संघटकों के मामले में भी यही रियायती दर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। पयूमल ईंजेक्शन पम्पों के विनिर्माताओं द्वारा आयातित पयूमल ईंजेक्शन पम्पों के संघटकों और वारंटी संबंधी अतिरिक्त कल-पुर्जों पर भी यह रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से, कुल मिलाकर, एक पूरे वर्ष में 24.7 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

121. मैं कुछ उन्नत प्रकार के संगणकों (कम्प्यूटरों) को, जो देश में नहीं बनाए जाते, सीमा-शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इस के साथ-साथ, संगणकों के चार महत्वपूर्ण संघटकों के सीमा-शुल्क को 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। ताकि संगणकों के स्वदेशी विनिर्माताओं की लागत को घटाया जा सके। इन प्रस्तावों से राजकोष को 20.40 करोड़ रुपए की हानि होगी।

122. स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यकताएं मेरी नजर से ओझल नहीं हुई है। मैं चिकित्सा उपस्करों की कतिपय महत्वपूर्ण मदों, जैसे न्यूक्लीयर मेगनेटिक रेजोनेंस स्कैनर, सी.ए.टी. स्कैनर और

लिनियर एक्सेलेरेटर पर शुल्क की दर को घटा कर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं । क्षय रोग-निरोधक और कुष्ठरोग-निरोधक दवाई, रिफेम्पिसिन, के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तीन मध्यवर्ती पदार्थों को आयात-शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जा रहा है। मैं दवाओं के निर्माण में काम आने वाले आठ अन्य मध्यवर्ती पदार्थों और होम्योपैथी की औषधियों पर भी सीमा-शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूं । इन रियायतों से राजस्व पर 14.09 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा ।

123. सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा आयात किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी साधित्रों, उपकरणों और औजारों को सीमा-शुल्क से पहले ही छूट दे रखी है । देश में अनुसंधान को और प्रोत्साहन देने के लिए, मैं सार्वजनिक धन से वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा, एक वर्ष में 50,000 रुपए के मूल्य तक की, आयात की जाने वाली अनुसंधान सामग्री की उपभोग्य मदों को सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । इससे एक पूरे वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी ।

124. जिप फासनरों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उनकी तस्करी को निरुत्साहित करने के लिए मैं जिप फासनरों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । यह उन अन्य उपायों के अतिरिक्त है, जो मेरे द्वारा इस दिशा में किए गए हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि हाल में घड़ियों के संघटकों, घड़ीसाजी की मशीनों और कच्ची सामग्रियों पर आयात-शुल्क में और इसके साथ-साथ घड़ियों पर उत्पाद-शुल्क में कमी की गई थी । इस उपाय से राजकोष को 3.07 करोड़ रुपए की हानि होगी ।

125. इस सन्दर्भ में, माननीय सदस्यों को उन विभिन्न कदमों की जानकारी होगी, जो सरकार तस्करी-निरोधक उपायों को कड़ाई से कार्यान्वित करने के लिए उठा रही है । हमने हाल में इस संबंध में पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की एक उदार योजना की भी घोषणा की है । मुझे आशा है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस संबंध में प्रबल जनमत का निर्माण करने में सहायता देंगे क्योंकि अन्ततोगत्वा केवल इसी से तस्करों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को कम और समाप्त किया जा सकता है ।

126. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुकाबलों में पुरस्कार जीतने वाले अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, हमने एक योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत ऐसे पुरस्कारों पर देय करों के संबंध में यथोचित रियायतें दी जाती हैं ।

127. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में भी कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों का ब्यौरा बजट-पत्रों में दिया गया है ।

128. उत्पाद-शुल्कों के संबंध में अपने प्रस्तावों पर चर्चा करने से पहले मैं एक अन्य विषय का उल्लेख करना चाहूंगा । यह विषय आठवीं वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है, जिसने यह मत व्यक्त किया था कि वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों और साधारण बीमा की पालिसियों पर स्टाम्प-शुल्क की दरों में वृद्धि करने की गुंजाइश है। तदनुसार, मैं वहन-पत्रों और प्रत्यय-पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प-शुल्क की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । किन्तु साधारण बीमा की पालिसियों पर लगने वाले स्टाम्प-शुल्क की वर्तमान दरों में मैं कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता । शुल्कों की नई दरें 1 जुलाई, 1985 से ही प्रभावी होंगी । इससे अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

129. अब मैं उत्पाद-शुल्कों की चर्चा करूंगा । मैं इसकी शुरुआत अतिरिक्त साधन जुटाने के अपने प्रस्तावों से करता हूं ।

130. उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 68 के संबंध में शुल्क की दर को 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जा रहा है । इससे एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के रूप में 125 करोड़ रुपए और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्कों के रूप में 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । लेकिन मैं तत्काल यह बता दूं कि इस वृद्धि से कच्ची सामग्रियों और विनिर्मित निविष्टियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, क्योंकि मद 68 के अन्तर्गत आने वाली उन वस्तुओं पर, जो अन्य उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में इस्तेमाल होती हैं, अदा किए गए शुल्क की भुजराई के बारे में मौजूदा उपबन्ध जारी रहेगा ।

131. वनस्पति उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क की दर को, जो पिछले 15 वर्षों से 5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी हुई है, बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है । इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

132. सीमेंट के बुनियादी उत्पाद-शुल्क को, सीमेंट की आम किस्मों के मामले में, 205 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 225 रुपए प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है । इससे उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 66 करोड़ रुपए का और सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत, प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क में वृद्धि होने से, 1.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

133. उत्पाद-शुल्क टैरिफ में चार नई मदों को शामिल किया जा रहा है, जिनसे एक वर्ष में 19 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा पहली तीन मदें हैं : संगमरमर के ब्लाक, स्लैब और टाइलें, यात्रा वस्तुएं और कार्बनिक रसायन । अन्तिम मद वह निर्मित है, जिसमें सुपारी और चूना, कत्था, इलायची, नारियल की गिरी और मेंथोल जैसे उपादानों में से कोई एक अथवा एक से अधिक उपादान शामिल हों, और जो निश्चित मात्रा के पात्रों (कंटेनर) में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाए । माननीय सदस्य समझ जाएंगे कि यह 'सम्मिश्रण' पान-मसाला है ।

134. लघु इस्पात संयंत्रों की शुल्क की विभेदी दर का जो लाभ प्राप्त है, उसे घटाया जा रहा है । लेकिन उन्हें शुल्क में 50 रुपए प्रति मेट्रिक टन का लाभ फिर भी मिलता रहेगा । इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 18 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ।

135. मैं वातित जलों के बुनियादी उत्पाद-शुल्कों को 200 मिली-लिटर की प्रति बोतल पर 25 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे और सोडा-वाटर की 200 मिली-लिटर की प्रति बोतल पर 5 पैसे से बढ़ाकर 10 पैसे करने का प्रस्ताव करता हूं । ऊंची क्षमता वाली बोतलों के लिए आनुपातिक वृद्धि कर दी जाएगी । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि ज्ञात काकों पर लगने वाले बुनियादी शुल्क को प्रति इकाई 2 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे कर दिया जाए । इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में लगभग 16.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है ।

136. कर-अपवंचन को कम करने के उपाय के रूप में, मैं समतल कांच (फ्लैट ग्लास) के संबंध में विशुद्ध रूप से शुल्क की मात्रानुसार दरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं कांच से संबंधित शुल्क दरों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं । इन उपायों से 12.5 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा ।

137. मैं विनिर्दिष्ट किस्मों के छपाई और लिखाई के कागज और क्राफ्ट पेपर पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क में 200 रुपए प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि करने और कुछ विशेष प्रकार के कागज जैसे कोटेड पेपर, ग्लैसरीन पेपर और सिगरेट टिशू पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । इन उपायों से राजस्व में 10.50 करोड़ रुपए का लाभ होगा ।

138. मैं बीड़ियों पर कुल शुल्क को 3.74 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति हजार करने, धातु जैकेटयुक्त बैटरियों पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने, और स्टोरेज बैटरियों पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इन उपायों से 16.84 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

139. मेरे अगले कुछ प्रस्ताव कर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उपाय हैं।

140. बेनीयर दियासलाइयों पर लागू होने वाली रियायती दरों को गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में उत्पादित गत्ते वाली दियासलाइयों पर लागू किया जा रहा है। यंत्रीकृत क्षेत्र मे दियासलाइयों में गत्ते के इस्तेमाल पर शुल्क की विभेदी दरों को समाप्त किया जा रहा है। अब शुल्क की केवल चार दरें होंगी, अर्थात् 1.60 रुपए, 4.50 रुपए, 5.15 रुपए और 6.85 रुपए प्रति ग्रुस डिबियां, जबकि इस समय अनेक दरें प्रचलित हैं। मुझे आशा है कि इस उपाय से गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में लकड़ी के स्थान पर गत्ते का अधिक इस्तेमाल होने लगेगा।

141. घरेलू साबुन, लांड्री साबुन और नहाने के साबुन के मामले में शुल्क की दरें केवल साबुन की कीमतों के आधार पर निर्धारित की जा रही हैं। शुल्क की निचली दर के लिए अर्हता प्राप्त करने के वास्ते 7,800 रुपए प्रति मैट्रिक टन की वर्तमान मूल्य सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति मैट्रिक टन किया जा रहा है। 10,000 रुपए प्रति मैट्रिक टन से कम मूल्य वाले सभी साबुनों पर शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर लागू होगी और अन्य ऊंची कीमत वाले साबुनों पर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगेगा। इस उपाय से प्रसंगवश लगभग 1 करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ हो जाएगा।

142. गैसों, ट्यूबों और टायरों के फनेपों के संबंध में, वर्तमान मूल्यानुसार शुल्कों को मात्रानुसार दरों में बदला जा रहा है जिससे शुल्क-निर्धारण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

143 मैंने वित्त विधेयक में कुछ ऐसे भी उपबंध शामिल किए हैं जिनका उद्देश्य प्रसाधन सामग्रियों और निर्मितियों, लोहे तथा इस्पात और अलौह धातुओं के संबंध में टैरिफ संबंधी नामपद्धतियों में स्पष्टता लाना और उसे सरल तथा युक्ति संगत बनाना है। प्रसाधन की सामग्रियों और निर्मितियों के मामले में इस उपाय से लगभग 5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। और भी कुछ छोटे छोटे प्रस्ताव हैं, जिनका राजस्व की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है, इनमें कुछ मामलों में शुल्क की दरों में परिवर्तन करना और शुल्कों का पुनः समायोजन करना शामिल है।

144. मेरे अगले दो प्रस्ताव सरलीकरण और राहत देने के उपाय हैं। पहला विशेष उत्पाद-शुल्क के बारे में है। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं यह शुल्क बुनियादी उत्पाद-शुल्क के प्रतिशत के रूप में लगाया है और इसकी अधिकतम दर 10 प्रतिशत है। वर्तमान प्रणाली में इस शुल्क के लिए अलग से हिसाब रखना पड़ता है। विशेष उत्पाद शुल्क समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 100 मदों को इस शुल्क से मुक्त कर दिया जाए; कुछ मामलों में विशेष उत्पाद—शुल्क को बुनियादी शुल्क के साथ मिलाकर समाप्त किया जा रहा है। अब केवल 32 मदों पर ही यह शुल्क लगा करेगा। इस उपाय से राजकोष को 38.20 करोड़ रुपए की हानि होगी।

145. सरलीकरण से संबंधित दूसरा प्रस्ताव टेलीविजन, वी.सी.आर और रेडियो पर लगने वाली लाइसेंस फीस के बारे में है। हालांकि रेडियो टेलीविजन सेट और वी.सी.आर. के मामले में अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन केवल टेलीविजन सेटों पर एक नया शुल्क लगाया जा रहा है, जो हर साल, जब तक कि टेलीविजन सेट रहता है, 50 रुपए के हिसाब से लगने वाली वर्तमान लाइसेंस फीस के बदले, एक बार में ही 100 रुपए प्रति सेट की एक समान दर से वसूल कर लिया जाएगा। अब से लोगों को नए लाइसेंस लेने या पुराने लाइसेंस नए करवाने के लिए डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक भारत में विनिर्मित टेलीविजन सेटों का संबंध है, यह शुल्क एक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क होगा। इस मद से इकट्ठा किया जाने वाला अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क केवल केन्द्र को ही मिलेगा और इसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होगा। जब टेलीविजन सेट बाहर से भारत में आयात किए जाएंगे तब उन पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में उतनी ही राशि देनी होगी। इस मद से एक वर्ष में 18 करोड़ रुपए का उत्पाद-शुल्क और 2 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क मिलेगा।

146. अब मैं वस्त्रों के बारे में अपने प्रस्तावों पर आता हूं। मैं सूती कपड़े (फैब्रिक) पर लगने वाले शुल्क को अप्रत्यक्ष यार्न (सूत) पर अन्तरित करना चाहता हूं। असंसाधित सूती कपड़ों को पूर्णतः शुल्क-मुक्त किया जा रहा है और सूत पर लगने वाले कर-भार में सामान्य रूप से लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। किन्तु सीधे रील हैंकों में मिलने वाला सूत, जो आम तौर पर हथकरघों में इस्तेमाल किया जाता है, आगे भी शुल्क-मुक्त रहेगा। पंजीकृत हथकरघा सहकारी समितियों को सप्लाई किए जाने वाले क्रास रील हैंकों में मिलने वाले सूत के लिए शुल्क की रियायती दरें आगे भी लागू रहेंगी। करघों के विद्युत प्रसंस्करण पर, चाहे वह सम्मिश्रित मिलों में होता हो या अन्यत्र, आम तौर पर, वहां प्रसंस्करण अवस्था पर लगने वाला शुल्क कुछ कम दर पर लगेगा। समग्र दर को कम करते समय मैंने इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है कि राज्यों को दिए जाने वाले बिक्री-कर के स्थान पर वसूल किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की राशि अवश्य बढ़े। हाथ से प्रसंस्करण करने वालों को जो छूट मिलती है वह आगे भी मिलती रहेगी। इसी प्रकार अनुमोदित स्वतंत्र प्रसंस्कर्ताओं और पंजीकृत हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघे के कपड़े को मिलने वाली छूट भी जारी रहेगी।

147. मैं ऐसे ऊनी कंबलों को पूर्णतः शुल्क-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। कतिपय पोलिएस्टर-ऊन मिश्रित कपड़े पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को भी कम किया जा रहा है।

148. वस्त्रों से संबंधित उत्पाद-शुल्क विषयक मेरे प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में लगभग 13.85 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

149. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग की वृद्धि की क्षमता को देखते हुए, पिछले दो वर्षों में इस उद्योग को सीमा शुल्क के मामले में काफी अधिक रियायतें दी गई हैं। कम्प्यूटरों के मामले में सीमा-शुल्क में जो रियायतें दी गई हैं उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं कम्प्यूटरों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने भिन्न-भिन्न इलेक्ट्रानिक मदों के संबंध में मौजूदा उत्पाद-शुल्क के टैरिफ ढांचे को भी युक्तिसंगत बनाने की कोशिश की है।

150. टेलीविजन सैटों पर उत्पाद-शुल्क के निर्धारण को सरल बनाने के उद्देश्य से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि टेलीविजन के परदे (स्क्रीन) के आकार के अनुसार उसके उत्पाद-शुल्क की मात्रानुसार दरें निर्धारित की जाएं। ऐसा करते हुए, मैं उन श्यामश्वेत टेलीविजन सेटों को भी उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर रहा हूं जिनके परदे का आकार 36 सेंटी मीटर से अधिक नहीं है।

151. इन प्रस्तावों से राजकोष को एक वर्ष में 7.72 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

152. मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार और तिपहिया वाहनों के बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इससे एक वर्ष में लगभग 45 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। किन्तु मैं तिपहिया वाहनों

सहित सभी वाणिज्यक वाहनों के विनिर्माण में काम आने वाले टायरों और बैटरियों पर अदा किए गए शुल्क को जमा खाते डालने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के शुल्क में 2 प्रतिशत अंशों को कम कर दिया जाए, जो वाहन टर्बो चार्ज हों। यह रियायत यात्री-करों के मामले में भी दी जाएगी यदि वे टर्बो-चार्ज होंगे। इन दो प्रस्तावों से राजकोष को एक वर्ष में 82 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस प्रकार 37 करोड़ रुपए के राजस्व की निवल हानि होगा। मैं आशा करता हूं कि इन उपायों से विनिर्माताओं को वाणिज्यक वाहनों की कीमतें घटाने में मदद मिलेगी।

153 सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1982 के बजट में दूध्ले पेपर बोर्ड को, जो कम घनत्व वाले पोलीथिलीन के साथ परतबंदी (लेमीनेशन) के लिए और दूध की थैलियां (पैकेज) बनाने के काम आता है, पूरी तरह से छूट दी गई थी। मैं इस रियायत को उन सभी किस्मों के कागज और गत्ते के संबंध में देने का प्रस्ताव करता हूं जो कम घनत्व वाले पोलीथिलीन के साथ परतबंदी के काम आता है, इससे दूध के बेहतर उपयोग और विपणन में सहायता मिलेगी। मैं साइकिलों के कल-पुर्जों और चमड़े के बोर्डों को भी उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इन रियायतों के कारण एक पूरे वर्ष में 2 10 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा।

154 मेरा अन्तिम प्रस्ताव लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादशुल्क के तंत्र का उपयोग किया गया है। 67 विनिर्दिष्ट वस्तु समूहों से संबंधित वर्तमान सामान्य योजना के अंतर्गत 7 5 लाख रुपए तक के मूल्य की पहली निकासी के लिए पूरी छूट मिलती है और उसके बाद 25 लाख रुपए तक के मूल्य की निकासी पर अन्यथा देय शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से शुल्क लगता है। किन्तु जिस एकक की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की रही हो, वह इस रियायत का पात्र नहीं होता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 25 लाख रुपए की विभाजक सीमा लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में बाधा न बने मैं पात्रता की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि इस योजना को खण्ड दरों की व्यवस्था करके और उदार बना दिया जाए। यह दर 7 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के बीच की निकासियों के लिए अन्यथा देय शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर 15 लाख रुपए और 25 लाख रुपए के बीच की निकासियों के लिए 50 प्रतिशत के बराबर और 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच की निकासियों के लिए यह दर अन्यथा देय शुल्क के 75 प्रतिशत के बराबर होगी। संशोधित योजना में यह परिकल्पना की गई है कि जब कोई विनिर्माता 40 लाख रुपए की सीमा को भी पार कर जाए तब भी वह जब तक कि 75 लाख रुपए की निकासी को पार नहीं कर जाता, निचले खण्डों पर लागू रियायती दरों के लाभ से वंचित नहीं होगा एक ऐसी ही योजना कुछ परिवर्तनों के साथ, मद 68 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के संबंध में लागू की जा रही है।

155 लघु क्षेत्र से संबंधित मेरे प्रस्तावों से 20 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा।

156 सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में मेरे उपयुक्त प्रस्तावों से सीमा शुल्कों के अंतर्गत 707 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के अंतर्गत 424 29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। सीमा शुल्कों के अंतर्गत कुल मिलाकर 419 88 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत 164 75 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें दी जा रही हैं। इस प्रकार सीमा-शुल्कों से 287 12 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों से 259.54 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उत्पाद-शुल्कों में केन्द्र का हिस्सा 139 59 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 119 95 करोड़ रुपए का होगा। केन्द्र के हिस्से में 18 करोड़ रुपए की वह राशि शामिल है जो टेलीविजन सेटों पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कारण प्राप्त होगी। मैं यह बतला देना चाहूंगा कि राज्यों के हिस्सों का हिसाब यूनियावी उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाली निवल राशि के 45 प्रतिशत की दर पर लगाया गया है और बिक्री कर के स्थान पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क के भार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

157 सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में 17 मार्च, 1985 से प्रभावी होने वाले परिवर्तनों को लागू करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

158 मैंने पहले बतलाया था कि करों की मौजूदा दरों पर 3,660 करोड़ रुपए का बजट घाटा रहेगा। राहतों और रियायतों को हिसाब में लेते हुए प्रस्तावित कर संबंधी उपायों से 1985-86 के दौरान केन्द्र को 311 करोड़ रुपए और राज्यों को 132 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार 3,349 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह घाटा चालू वर्ष के घाटे से कम है। मुझे पक्का विश्वास है कि हमने जो विभिन्न नीतियां और उपाय प्रस्तावित किए हैं वे अर्थव्यवस्था को और उत्प्रेरित करेंगे और जनसाधारण के कल्याण में योगदान देंगे।

159. अध्यक्ष महोदय मैंने जिस प्रकार अपने भाषण का समारंभ, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों के साथ किया था, वैसे ही इसका समापन भी मैं उनके इन शब्दों के साथ कर रहा हूं . "हम सबको नए भारत के निर्माण में अटूट विश्वास है। आइए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर देश की गाड़ी को आगे धक्का लगाएं।"

ए रंगाचारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

New Delhi, the 16th March, 1985

No. M/Finance (EAD) U.O. No F 15(1)-B(D)/85.—Speech of Shri Vishwanath Pratap Singh, Union Finance Minisetr, presenting Central Government's Budget for 1985-86 :—

Budget 1985-86

Speech of

Shri Vishwanath Pratap Singh

Union Finance Minister

16th March, 1985

PART A

Sir,

I deem it a great privilege to present the first Budget of the new Government.

2. I am conscious of the fact that the tremendous responsibility that has devolved on us at this critical juncture arises not only from the office that we hold but more so from the immense trust that the people have reposed in us. We pledge all our endeavour to justify this trust of the common man.

3. I am remainded of the words of our beloved departed leader, the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi :

"No section of our vast and diverse population should

feel forgotten. Their neglect is our collective loss." We can no longer hear her voice, but her words will live with us. In the task of nation-building, she spared herself no pain—not even the pain of death. She has left us a legacy signed in her own blood; a legacy to preserve this country and keep it moving ahead. To this cause of hers we rededicate ourselves.

4. The Economic Survey, which has been presented to the House, deals with economic developments in the current year in detail. I shall, therefore, touch upon only a few salient features of the current economic situation.

5. The overall growth in national income in 1984-85 is anticipated to be of the order of 4 per cent on top of 7.4 per cent recorded in the previous year. Food production in 1983-84 turned out to be even better than what was anticipated at this time last year. Output of foodgrains reached 151.5 million tonnes from the level of about 130 million tonnes in 1982-83. Agricultural growth in 1983-84 was 13.6 per cent. In 1984-85, food production is likely to be around the record level achieved in the previous year. Industrial production also recovered during the year and, according to present indications, it may show a growth rate of about 7 per cent in 1984-85. For the Sixth Plan as a whole, however, the growth rate in industry is likely to average about 6 per cent, which is below the Plan target.

6. The major infrastructure sectors performed reasonably well in 1984-85. Power generation during the period April-December 1984 was 13.5 per cent higher than in the same period of the previous year, as compared with an increase of 7.6 per cent in 1983-84. Coal production increased by 6.9 per cent during April—December 1984 compared with 5.8 per cent in 1983-84. Freight movement by rail, which had stagnated in 1983-84, picked up in the current year with a modest growth of 3.2 per cent in the first nine months.

7. Our balance of payments situation during the year was comfortable with a net accretion in reserves of about Rs. 547 crores upto end—January 1985. Although a part of the increase in rupee terms is because of the strengthening of the U.S. dollar, it is heartening that the improvement in the balance of payments situation witnessed in 1983-84 was sustained during the current year. Trade data, available upto November, 1984, show an increase in exports by 23 per cent and that in imports by 14 per cent over the corresponding period of the previous year. Trade deficit, on provisional basis, is estimated at Rs. 3016 crores in the current year upto November as compared with Rs. 3080 crores in the previous year. It will be recalled that the Government had voluntarily terminated the International Monetary Fund arrangement with effect from 1st May, 1984 after drawing only Special Drawing Rights 3.9 billion out of Special Drawing Rights 5 billion available under the loan arrangement. That we have been able to do so is a testimony to our sound financial management during a period when the external environment has been highly unfavourable.

8. The rate of inflation which was causing concern towards the end of the last year, could be effectively contained by the implementation of various anti-inflationary measures, including curbs on expenditure, coupled with an imaginative supply management and timely imports. We also, of course, had the benefit of two successive good crops. Thus, the annual rate of inflation in wholesale prices on 23rd February, 1985 was 5.2 per cent as compared with 10.0 per cent at the same time last year. The consumer price index has also shown an increase of only 4.4 per cent in January 1985 over the level 12 months ago as compared with an increase of 13.7 per cent in the corresponding period of the previous year.

9. On the whole, therefore, the economy is functioning well. That the country has been able to make all this progress within a democratic framework is no mean achievement. In a country where a large proportion of the population is below the poverty line, to have raised the necessary resources for its development without material external help and yet preserve the ballot-box is a tribute to the sagacity of the political leadership of the country.

10. However, we should not belulled into a false sense of complacency as the task ahead is arduous. I would now like to share with the Hon'ble Members my perception of the challenges that we face and the Government's response to meeting them.

11. As we enter the Seventh Plan, the resource constraint has become acute, both at the Centre, and the States. The basic problem is that our non-Plan expenditure has been increasing at a rate substantially faster than the growth of current revenues. As a result, budgetary resources for the Plan have been severely eroded. Defence, interest payments, and food and fertiliser subsidies no account for nearly 70 per cent of the non-Plan revenue expenditure of the Centre. A sizeable part of the remaining 30 per cent of such expenditure is accounted for by essential maintenance, social and community services, and grants to States. Further, the increase in non-Plan expenditures of the States has meant larger transfers to States on this account.

12. In the past few years, we have been able to finance large increases in the Annual Plan largely through borrowings, both external and internal. However, this cannot go on indefinitely. The process of pruning budgetary expenditure at the Centre and at the States, however painful, must begin so that the necessary adjustment can take place over a period of time.

13. The public sector is vital for faster industrialisation, balanced regional development, and prevention of concentration of wealth and economic power. Over the years, the public sector has grown rapidly, and an important priority now is to ensure that there is sufficient internal generation of resources for its future growth. Given our resources constraint, increasing levels of investments in the public sector are feasible only through better utilisation of exisitng capacity and higher return on past investments. The Seventh Plan will give particular attention to this aspect

14. The recent improvement in the balance of payments is gratifying. However , this is an area where there can be no room for complacency. Some of the factors that have worked in our favour in the Sixth Plan will not operate with the same vigour in the Seventh Plan. Oil production, which had increased by about 18 million tonnes during the last five years, may not increase at the same rate in the future. Repayments of the International Monetary Fund loan and external commercial borrowing would also increase sharply.

15. Recent developments in the world economy have not only reduced the availability of external resources for development, but have also made their terms distinctly harder. The alternative source of external commercial borrowing is expensive. The room for manoeuvre in terms of increasing the surplus on account of invisible is also limited. There can be little doubt that if we have to reconcile a manageable balance of payments situation with a tolerable debt profile, export earnings would have to finance a larger and larger proportion of our imports so that the deficit in our balance of payments is reduced. In the context of the need to conserve scarce foreign exchange, it would be desirable to increase the domestic production of importables wherever we have underutilized capacities. It is necessary also to stress efficient import substitution, in an economic sense rather than the physical sense, so that considerations relating to cost and efficiency are incorporated in the frame-work of policies.

16. Agricultural and rural development is at the centre of our planning. Control of inflation, reduction in poverty levels, promotion of employment, and improvement in our balance of payments are goals which are linked with our success in agriculture. Our past record has been good, which underscores the soundness of our agricultural strategy involving structural changes in rural economic relations, greater application of new technology and fertilisers, and increase in the irrigated area. But, much more remains to be done on each count. We have to tackle the problem of increasing yields in different regions, particularly in respect of paddy. We also have to pay special attention to increasing domestic output of oilseeds through more intensive cultivation of existing varieties and development of new ones. Import of edible oils is a major drain on our foreign exchange resources, and higher domestic production will benefit the economy in several ways.

17. It is the policy of the Government to provide remunerative prices to our farmers. The price support operations are already functioning well in respect of certain major agricultural commodities, like wheat and rice. The Government

will, over a period of time, extend effective price support operations to other important crops also, particularly oilseeds and pulses.

18. A crop failure, in the event of drought or flood, can have disastrous effect on the livelihood of our farmers and their families. The Government has, therefore, decided to introduce a comprehensive scheme of crop insurance. Henceforth, there will be a built-in insurance cover for all crop loans. The insurance cover will be provided up to 150 per cent of the crop loan. To begin with, the scheme will be extended to wheat, paddy, oilseeds and pulses. The insurance charges will be low. The marginal and small farmers will be subsidised to the extent of two-thirds of the insurance charges by Central and State Governments on a matching basis. Details of the scheme, which are being worked out, will be announced separately.

19. The Integrated Rural Development Programme, the National Rural Employment Programme, the Rural Landless Employment Guarantee Programme, and the Programme for providing self-employment opportunities to the educated unemployed, have helped to reduce the incidence of poverty and have contributed to increasing the employment opportunities. Government is committed to further strengthen and improve the performance of these special programmes. The generation of adequate employment opportunities is at the heart of our development efforts. Measures being taken now to stimulate the economy will have an important beneficial impact on the employment situation.

20. Government proposes to introduce a Social Security Scheme to cover the risk of death by accident in respect of earning members of poor families comprising landless labourers, small and marginal farmers, traditional craftsmen and others not covered by any insurance scheme or workmen's compensation arrangements. Under this scheme, a sum of Rs. 3000 will be paid to the dependent of the deceased, who dies as a result of an accident. The scheme will, to begin with, be introduced in 100 districts in the country, selected in consultation with the States. I hope all sections of the House will welcome this measures which will cover the needs of the poorest families in their moment of utter deprivation.

21. I am glad to inform the House that the target of priority sector advances, including advances for agriculture and small scale industry, which was fixed at 40 per cent by end of 1984-85, has already been exceeded by public sector banks. This is a major achievement in view of the fact that advances to priority sectors were less than 15 per cent in 1969, when the banks were nationalised. A problem that we now face is the slow pace of recovery of past loans. Hon'ble Members will appreciate that it is not possible for the credit system to fulfil the task assigned to it unless performance in repayment of past loans improves.

22. An important task for the future is to accelerate industrial growth. At the same time, we must ensure that the pattern of industrial growth conforms to our socio-economic priorities. Our domestic market is large, the structure of industry is already diversified, and the base of entrepreneurship has grown. These are important strengths. We must now aim at reducing costs and prices and improve the competitiveness of our industry. This process calls for structural changes in the economy and will entail some costs which we should be prepared to pay. Unproductive investments of the past should not stifle the productive forces of the future. Indian industry must also become more self-relient in financing investment. Regulations must facilitate growth and respond to the changing external and technological environment. In particular, it is necessary to bring about closer coordination among fiscal, industrial and trade policies.

23. A multipronged programme of action is necessary to meet the challenges of the future. As our Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi observed recently, in the Parliament :

> "The challenges before our country are many. We have to modernise India. We have to change the thinking of the people of India to look ahead into the future and not to keep on dwelling on the past. We have to make India self-reliant in every important sphere. We have to create a dynamic country that is equal to any other country in the world."

In this task, our greatest asset is the human resource, and crucial to the success of all our policies is the development of an effective programme for best utilisation of this resource through renewed emphasis on education, environment, and the application of science and technology

24. I now propose to announce a few decisions which are designed to reduce rigidities and improve the environment for industrial growth. It is proposed to notify a list of industries for delicensing so that procedural delays are cut to a minimum in areas where we want additional capacity. In order to reflect the considerable increase in the cost and the economic size of projects that has taken place since the asset limit for MRTP companies was fixed in 1969, this limit is being revised to Rs. 100 crores. The small scale sector has played a vital role in our economy and the Government proposes to take further steps to promote its growth. The ceiling of investment in plant and machinery, which was fixed in 1980, is being raised from Rs. 20 lakhs to Rs. 35 lakhs. The ceiling in respect of ancillaries is being raised from the present level of Rs. 25 lakhs to Rs. 45 lakhs Later in my speech, I shall be announcing certain fiscal measures to facilitate development of this sector.

25. On the financial side, I propose to facilitate the mobilisation of resources from the market by the corporate sector and to reduce its dependence on public financial institutions. With a view to improving the marketability of convertible debentures of non-MRTP and non-FERA companies, the maximum interest payable by them on such issues is being raised from 13.5 per cent to 15 per cent. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, is being amended to ensure free transfer of securities of listed public limited companies. This measure will particularly benefit small investor spread all over the country. In order to offer wide choice to investors, certain changes are being made in respect of listing requirements of closely-held companies. Such companies will be permitted to enlist by offering 40 per cent of their equity capital in two stages over a period of 3 years and capitalise a larger portion of their free reserves before going to the public. In order to diversify the market, a new instrument, namely, Convertible Cumulative Preference Share is being introduced. Several measures to reduce the prevailing high cost of public issues are being announced separately.

26. The corporate sector should also be permitted to play a legitimate role within defined norms in the functioning of our democracy. It is proposed to introduce the necessary legislation during this session to allow companies to make contribution to political parties from out of their profits.

27. The Government proposes to introduce a special legislation for sick units. It is proposed to set up a Board for Financial and Industrial Reconstruction, which will provide a speedy machanism for amalgamation, mergers and devise such other solutions as may be necessary to deal with the problem of sick units in the large and medium sector. The onus for reporting sickness will be laid on the management of the units themselves, who will be required to seek a fresh mandate from their shareholders after 50 per cent of the net worth of the company has been eroded. When the company loses its entire net worth, the existing management and the owners will not have any further role to play in running the affairs of the unit. It is also proposed that those who are deemed to be responsible for mismanaging the unit will not have access to assistance from financial institutions even in new ventures. Bad managers, like bad currency, have to be kept out of circulation.

28. Workers are the worst victims of industrial sickness. Under the present law, however, when companies are wound up, workers' dues rank low in priority compared to secured creditors. To my mind, labour is as much a factor of production as any other and it is unjust that the workers' dues should have a lower priority. In order to rectify this situation, we have taken a decision to introduce the necessary legislation so that legitimate dues of workers rank pari passu with secured creditors such as banks in the event of closure of the Company. Such dues will rank above even the dues to Government. The Government is also considering the introduction of a scheme of stock options to the employees and workers of companies to encourage their participation in management.

29. At present, under the Payment of Bonus Act, 1965 where the salary or wage of an employee exceeds Rs. 750 per month, the bonus payable to such employee is calculated as if his salary or wage was Rs. 750 per month. It is now proposed to raise this limit to Rs. 1,600 per month. The eligibility criteria would remain the same.

30. In addition to the changes being made in the overall policy framework, the Government is also undertaking a review of certain specific industries with a view to correcting structural imbalances. Textile industry has a vital place in our economy in terms of its contribution to output, exports and employment. This industry is, however, passing through a very difficult period and the need for structural change is pressing. I shall be proposing certain changes in the fiscal structure of cotton textile indsutry. The preparation of a new textile policy is well under way.

31 The electronics industry is truly the industry of our times. In order to accelerate the growth of this industry, in November, 1984 the Government announced a new package of measures for computers. Rates of duty on imports of components and raw materials were reduced drastically and, in order to protect the interests of end-users, import policy for computers was also liberalised. It has now been decided to extend this approach to other items of manufacture in electronics. Details of the new policy will be announced separately by the Department of Electronics.

32. I shall now turn to the Revised Estimates for 1984-85 and the Budget Estimates for 1985-86.

Revised Estimates for 1984-85

33. There were several unanticipated developments on the budgetary front during the year. On the Plan side, higher budgetary provisions had to be provided for the Central and State Plans. On the non-Plan side, there was substantial increase in expenditure on defence, food and fertiliser subsidies, and payment of dearness allowance to Government employees. Larger assistance was given to States affected by floods and cyclones, and medium term loan has been provided to certain States facing acute financial problems. On the receipt side, there was some increase in tax revenues and a significant step-up in small savings collections.

34. The budgetary support for the Central Plan is now estimated to be higher at Rs. 11,751 crores as against the original outlay of Rs. 11,420 crores. The revised Central Plan outlay is estimated to be Rs. 17,495 crores as against the Budget Estimate of Rs. 17,351 crores. Within this overall amount, there were certain changes in the sectoral outlays. The provision for self-employment scheme for educated unemployed youth was increased by Rs. 124 crores and the National Bank for Agricultural and Rural Development was provided an additional amount of Rs. 152 crores against disbursements under external aid programmes. Additional provisions were also made for Visakhapatnam Steel Plant, mines, non-conventional energy sources, atomic energy, electronics, food storage godowns, and certain other sectors. The Revised Estimates of the Central Plan outlay in some areas, notably, petroleum, coal and fertilisers were, however, lower. The provision made in the Budget for Central assistance for State Plans has also been stepped up by Rs. 153 crores.

35. On the non-Plan side, during the year, nine instalments of additional dearness allowance including relief to pensioners, were sanctioned to Central Government employees. These are estimated to cost about Rs. 715 crores in the current year against the lump sum provision of Rs. 300 crores made in the Budget. Ad hoc bonus sanctioned to Government employees in the current year woud cost Rs. 61 crores.

36. Food subsidy in the current year will increase from Rs. 850 crores to Rs. 1100 crores. This is mainly due to increase in procurement price of paddy, lower realisation from sale of wheat and sharp increase in stocks of foodgrains. The subsidy on domestic fertilisers will go up from Rs. 930 crores to Rs. 1200 crores. The subsidy on imported fertilisers will increase from Rs. 150 crores to Rs. 632 crores owing to increase in the cost and volume of imports.

37. Assistance to States affected by floods and cyclones was stepped up by Rs. 130 crores. Consequent on larger small savings collections, the share payable to states was also increased by Rs. 440 crores. The provision for loans to States for purchase of agricultural inputs was stepped up by Rs. 60 crores. In addition, special medium-term loan of Rs. 440 crores has also been provided to States which faced serious financial difficulties during the year.

38. Defence expenditure in the current year is estimated at Rs. 7175 crores against the Budget Estimates of Rs. 6800 crores. Interest payments are expected to be Rs. 390 crores higher than the original estimate of Rs. 5,600 crores.

39. Certain public sector enterprises have suffered large cash losses and additional budgetary support had to be provided to them. Taking into account these and other variations, including notional provisions for conversation of equity in certain public undertakings into loans, assistance towards their interest dues to Government and additional subscription to International Monetary Fund, the total non-Plan expenditure is estimated at Rs. 29,740 crores against the Budget Estimates of Rs. 26,066 crores.

40. Under non-tax revenue, the dividend from Railways is likely to be less by Rs. 211 crores. The profit from sale of edible oil will also be less due to high international prices. Mainly due to additional boudgetary support provided to certain public undertakings and improvements in the finance of some others, interest receipts from public sector undertakings and others are, however, estimated to be Rs. 439 crores higher than the Budget Estimates.

41. Under capital receipts, I am glad to report that small savings collections during the year are now expected to reach Rs. 3,300 crores against the Budget Estimate of Rs. 2,400 crores. Receipts from special deposits of non-government provident funds are estimated to be higher by Rs. 75 crores and deposits by public sector undertakings of their surplus funds by Rs. 200 crores. Corresponding to the increase in expenditure receipts from special securities to International Monetary Fund will also go up by Rs. 149 crores. Taking into account the additional recoveries from State Governments and other variations, capital receipts in the current year are estimated at Rs. 17,778 crores compared with the Budget Estimate of Rs. 16,757 crores.

42. Total receipts are thus estimated to go up from Rs. 40,763 crores to Rs. 42,710 crores. Total expenditure is estimated to go up from Rs. 42,536 crores to Rs. 46,695 crores. This will leave a budgetary deficit of Rs. 3,985 crores as compared with Rs. 1,773 crores in the Budget Estimates.

43. The deficit is higher than what I would have adeally liked. I am glad that this deficit has been absorbed by the economy without any adverse effects on prices, thanks to the favourable agricultural situation. However, as a necessary caution, in the coming year we would need to curtail the size of the deficit, though it has been said that "anyone who lives within his means suffers from lack of imagination". Not that I lack imagination, but I do not propose to let it run riot.

Budget Estimates for 1985-86

44. The current year marks the end of the Sixth Plan. It is estimated that public sector Plan expenditure during the Sixth Plan period will be of the order of Rs. 1,10,000 crores as against the orginally envisaged outlay of Rs. 97,500 crores. In view of the price rise during the period, outlays in real terms will, however, be lower than in the original Plan. Nevertheless, it is gratifying that the target of 5.2 per cent for the annual growth rate of the economy would have been met. Foodgrains output will be close to the Plan target and crude oil production will significantly exceed it. In power, additional installed capacity has been below Plan target; nevertheless, we would have added nearly 50 per cent to the existing installed capacity at the beginning of the Plan. In irrigation, additions to potential would be around 11.5 million hectares as against the Plan target of 13.7 million hectares.

45. As we enter the Seventh Plan, the main task is to consolidate the gains of the past and give a new thrust to the movement for increasing productivity, while at the same time ensuring financial and monetary stability. After taking into account higher devolution and grants to States aris-

ing out of the implementation of the recommendations of the Finance Commission, and essential non-Plan expenditure on account of defence and subsidies, the budgetary resources available for the Plan in 1985-86 are far short of our overall requirements.

46. In allocating these resources, I was particularly guided by the need to provide greater Central assistance for State Plans as otherwise many States would not be in a position even to protect their on-going projects in crucial sectors. When the States Plans for 1984-85 were approved, it was expected that the States own budgetary resources as also contributions from their public sector undertakings would be Rs. 5,740 crores. The latest assessment indicates deterioration of the order of Rs. 2,300 crores in the transactions of the current year.

47. Central assistance to State Plans in 1985-86 is being increased to about Rs. 6,000 crores as compared with Rs. 4,313 crores in 1984-85, which is an increase of 39 per cent as compared with an increase of 13 per cent provided last year. The States have also been authorised to go in for higher market borrowings to the tune of Rs. 1,600 crores, which is an increase of 20 per cent over 1984-85. This order of increase in Central assistance and market borrowings, on top of other transfers, has made a heavy draft on Centres own resources for the Plan.

48. In view of the elections in several States, the annual Plans of the States have not yet been finalised. It is expected that the process of finalising the State Plans will be completed in the next few weeks. In view of the sharp increase in central transfers on account of Plan as well as Finance Commissions recommendations, Centre's resources are already overstretched, and it will not be possible for the Centre to bear the additional burden of overdrafts by the States. For, ultimately, it is common man who pays. Despite a large step-up in Central assistance, market borrowings and negotiated loans, a reasonable Plan outlay for the States would be possible only if they make an earnest effort at mobilising a higher level of resources and improving the working of States enterprises.

49. Plan outlays of Union territories have been fixed at Rs. 640 crores as against Rs. 558 crores in 1984-85 Central Budget provides Rs. 578 crores and the balance of Rs. 62 crores will be met through additional resource mobilisation measures of the Union territories during the course of the year.

50. The Central Plan for 1985-86 has been fixed at Rs. 18,500 crores as compared with Rs. 17,351 crores in 1984-85. In view of the rosurce constraint, while determining sectoral priorities. I have considered it prudent to complete projects already under implementation rather than taking on new starts. It is also my endeavour to provide more for projects which are in an advanced stage of execution and which can be commissioned more speedily so that the benefits can start flowing to the economy as early as possible. Earlier in my speech, I referred to the excellent performance of the agricultural sector. In order to augment the efforts of State Governments in accelerating investment in agriculture, in the Central Plan an outlay of Rs. 790 crores has been provided for the Department of Agriculture and Cooperation and Department of Agricultural Research and Education. A provision of Rs. 165 crores has been made for the new fertiliser factories at Guna and Aonla which are to be set up based on Bombay High gas to be transported through the Hazira-Bijaipur-Jagdishpur pipeline.

51. A total provision of Rs. 932 crores has been made for Rural Development in the Central Plan. Pending finalisation of the State Plans, the provisions for Integrated Rural Development Programme and National Rural Employment Programme have been kept at more or less the same level as in the current year and will be enhanced later, if required. Honourbale members should be glad to know that projects worth more than Rs. 800 crores have been sanctioned for implementation under the Rural Landless Employment Guarantee Programme. This programme will have an outlay of Rs. 400 crores in 1985-86.

52. Honourable Members are well aware of the Government's emphasis on the restructuring of the educational system. We are in the process of evolving a new National Policy on Education. The Government is committed to making the education of girls free all over the country upto the Higher Secondary level. A total provision of Rs. 221 crores has been made for Education in the Central Sector including provisions for these new initiatives.

53. Consistent with our goal to achieve a net reproduction rate of unity by the year 2000 A.D., the Government would go in for an imaginative family planning programme on voluntary basis. Combined with effective immunization programme to reduce the mortality and morbidity rate among children, Family Welfare programmes are of great significance in the context of overall development. An outlay of Rs. 500 crores has been provided for Family Welfare Programmes. In order to effectively use the results of medical research, outlay for Indian Council of Medical Research has been increased to Rs. 30 crores.

54. During the Sixth Plan, the Government launched the Accelerated Rural Water Supply Programme to assist the States and Union territories in providing drinking water supply to villages. Members would be happy to know that the allocation during the Sixth Plan period on this programme would exceed Rs. 925 crores against the original outlay of Rs. 600 crores and that this has enabled the States to cover about two lakh problem villages during the plan period.

55. The potential of Indian Science and Technology for contributing to modernisation and development is immense. An outlay of Rs. 1,068 crores is being provided for Ministries of Science and Technology and Environment and Departments like Atomic Energy, Space Ocean Development and Electronics.

56. On the energy front, the Government attaches great importance to the need for a gradual transition from the present dependence on oil to coal and electricity in the medium term. Honourable Members would be happy to note that additional power generating capacity to the extent of 14000 M.W. would have been added by the end of the Sixth Plan period. This would mean a near 50 per cent increase over the capacity of 28,448 M.W. at the commencement of the Plan. In the Central Sector alone, additional capacity to the extent of 3,350 M.W. has been added during the Sixth Plan. For 1985-86, the Department of Power has been provided an outlay of Rs. 2,090 crores against Rs. 1,446 crores during 1984-85.

57. Coal production of 147.5 million tonnes is expected to be achieved in 1984-85. This is to be stepped up to 158.50 million tonnes in 1985-86. For the Department of Coal, an outlay of Rs. 1,102 crores has bene provided.

58. Honourable Members are well aware of the quantum jump in the field of crude production, which would be 29.4 million tonnes by the end of this year compared to 11.4 million tonnes at the beginning of the Sixth Plan. This has become possible due to the Accelerated Production Programme initiated in 1982-83, which has raised the annual production from Bombay High to 20.3 million tonnes from a level of 4.2 million tonnes in 1979-80. For the Department of Petroleum, an outlay of Rs. 3,261 crores is being provided. A provision of Rs. 100 crores has been made for the Gas Authority of India, a newly created organisation for the construction of gas pipe-lines.

59. The Government's concern for preservation of our forest is reflected in the creation of a separate department of Forest and Wild Life. This Department will have an outlay of around Rs. 54 crores, including Rs. 26 crores for social forestry and creation of rural fuel wood plantation.

60. The outlay for the Department of Environment is about Rs. 36 crores, which includes Rs. 10 crores for initiating action on the project of Prevention of Pollution of the Ganga. The other major environmental programme aim at conserving biological diversity, pollution monitoring, eco-development in critically degrated or fragile areas and research and development, besides creation of advanced centres for priority environmental studies.

61. Though a substantial portion has been transferred to the States as committed non-Plan liability, the Central Plan provides for Rs. 207 crores for the various programmes benefiting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Centre's contribution to the Special Component Plan for Scheduled

Castes has been stepped up to Rs. 165 crores. In order to rehabilitate the refugees from Sri Lanka, a provision of about Rs. 9 crores is being made.

62. The Government approved a scheme for expansion of TV network in the country in July, 1983. This plan envisaged setting up of large number of High Power and Low Power transmitters in the country so as to make the TV programmes available to 70 per cent of the country's population. The number of transmitters would go up to 180 by 31st March, 1985. Outlay for 1985-86 has been fixed at Rs. 110 crores for information and broadcasting.

63. The priorities outlined in Annual Plan for 1985-86 will further accelerate the implementation of the 20 point programme. The total amount allocated to the programme in the Central Plan is Rs. 4900 crores for the next year as against Rs. 4,141 crores provided for in the current year, representing an increase of 18.3 per cent.

64. I must, however, emphasise that proper implementation of the Plan requires not only financial allocations but also better project formulation and efficient management. It is proposed to make certain changes in the administrative procedures to facilitate quicker plan implementation. Before an investment decision is taken, administrative Ministries will be required to ensure that projects have been fully worked out and the executive authorities have taken the necessary preparatory action for implementation. It has, therefore, been decided to provide sufficient funding for preparation of detailed feasibility reports before budgetary allocations are made for projects. Steps are also being considered to advance the finalisation of the annual Plan and Vote on Account to facilitate communication of funds well before the commencement of the new financial year. These measures would result in even implementation of projects throughout the year and avoid the rush of expenditure towards the close of the year.

65. Non-Plan expenditure has been kept to the minimum. Next year's Budget provides larger transfers to States in terms of the recommendations of the Eighth Finance Commission. Grants to States covered by the Finance Commission's recommendations will go up from Rs. 518 crores in the Budget Estimates for 1984-85 to Rs. 1,215 crores in the Budget Estimates for the next year.

66. Defence expenditure next year is placed at Rs. 7686 crores (excluding defence pension). Interest payments are estimated at Rs. 7075 crores taking into account the increase in the volume of borrowings and the cost of borrowing. A provision of Rs. 1100 crores has been made for food subsidy, Rs. 1200 crores for subsidy on domestic fertilisers and Rs. 601 crores for subsidy on imported fertilisers. Export promotion and market development has been allocated Rs. 530 crores. Consequent on the separation of Postal Services from the Telecommunications services, the deficit of Postal Services estimated at Rs. 187 crores will be borne by the civil estimates in the Budget of next year. Following larger small savings collections, loans to States against these collections are placed at Rs. 2375 crores.

67. A lump sum of Rs. 300 crores has been provided in 1985-86 for payment of additional instalments of dearness allowance, Pensionary relief, etc. to Central Government employees. Provision has also been made for committed expenditure on Plan schemes completed in Sixth Plan period. Including these and other provisions, total non-Plan expenditure in 1985-86 is estimated at Rs. 32,786 crores against Rs. 29,740 crores in Revised Estimates for the current year.

68. At this point, I would like to refer to a matter concerning the Central Government employees. In the Budget for 1983-84, my distinguished predecessor had announced the appointment of the Fouth Central Pay Commission. The Commission which was appointed in July 1983 is still at work. Meanwhile, very large number of Government employees have been retiring without the benefit of a higher pension which was anticipated as a result of the recommendations of the Commission. At present, pension is calculated on the pay and a part of dearness allowance sanctioned upto the average Consumer Price Index level of 320. The last instalment of dearness allowance has been sanctioned with reference to the average Consumer Price Index level of 568. I now propose as a measures of relief to the Central Government employees retiring on or after 31st March, 1985, to treat the entire dearness allowance sanctioned upto the average Consumer Price Index level of 568 as pay for the purpose of retirement benefit. Simultaneously, I also propose to remove the present ceiling of Rs. 1,500/- per month on pension and increase the ceiling of Death-cum-Retirement Gratuity from Rs. 36,000/- to 50,000/-. The House will agree with me that those who have devoted the best years of their lives to the service of the country are deserving of whatever support we can give them.

69. Coming to receipts, the gross tax revenue at existing levels of taxation is estimated at Rs. 25,514 crores compared with Rs. 23,702 crores in the current year. The States share of taxes is estimated at Rs. 6592 crores against Rs. 5777 crores in the current year. Out of this increase, Rs. 487 crores are due to stepping up of States' share of basic excise duties from 40 per cent to 45 per cent from next year as recommended by the Eighth Finance Commission. The dividend from Railways will be Rs. 303 crores higher than in the current year.

70. Receipts from market loans are placed at Rs. 5100 crores against Rs. 4100 crores in the current year. Small savings collection are estimated at Rs. 3900 crores against Rs. 3300 crores in the current year. External assistance net of repayments is estimated at Rs. 2510 crores compared with Rs. 2146 crores in the current year. Taking into account these and other variations in the receipts, the total receipts in 1985-86 are estimated at Rs. 47,635 crores. These receipts take into account the effect of revision of Railway fares and freights. Total expenditure is placed at Rs. 51,295 crores. The overall budgetary gap at existing rates of taxation will thus be Rs. 3,660 crores.

PART B

71. The formulation of the Budget is an annual exercise but, to be meaningful, it has to be set in a longer time frame. Our fiscal system has served us well. However, over the years, objective conditions have changed calling for new responses. I am quite aware that it is not possible to usher in all the changes at one stroke, yet we have to initiate a process of reform which can be completed in a phased manner in a time bound frame. We will be moving towards the formulation of a long-term fiscal policy co-terminous with the Plan. I hope to initiate a debate on this after the budget session is over.

72. In the area of direct taxes, an important priority is to create an environment for growth, productivity and savings. The system of direct taxation which can help in achieving these objectives will also secure better tax compliance, and will be more equitable.

73. Our approach to the reform of the personal income-tax is as follows. First, the rates of personal income-tax should be recast and rationalised with a view to making the structure simple and reasonable. While maintaining the progressivity of the tax structure, it needs to be ensured that the combined effect of the rates of taxes on personal income and wealth are not counter-productive. Second, the exemption limit should be so fixed as to eliminate a large number of small assessments and to provide relief to low and middle income groups. Third, the tax structure should be stable. Fourth, in order to make more effective use of the administrative machinery in reducing tax evasion, the emphasis in tax assessments should shift from routine examination of a very large number of returns to a thorough scrutiny of a sample of cases. Fifth, it must be ensured that when tax evasion is detected the penalties are swift and severe. Sixth, a tax, however laudable in intent, should have no place in the statute book if it has outlived its utility.

74. The statutory rate of corporate tax in India is high, but because of various exemptions, the effective rate is significantly lower. While each exemption has a rationale, the combined effect of all these exemptions, taken together, is to erode the tax base. The present system also affects different taxpayers very differently. This cumbersome system has led to unending litigation, and has given wide discretion to those who make the accounts and those who scrutinise them.

75. My proposals for the current year in the area of corporate taxation are designed to introduced a directional change by discontinuing certain exemptions and rationalising the rates. For the present, I am not going all the way partly because of revenue considerations and partly because I would like to watch the response to the changes being proposed now. In order to have the benefit of the views of the Honourable Members, I shall also put forward a set of proposals regarding corporation tax which could be introduced in a phased manner in the next two years. I believe that an open debate on these issues is necessary so that the decisions that we take are the right ones. I propose to announce Government's decisions in this regard in my reply to the debate on the Finance Bill so that there is no uncertainty in the matter.

76. In respect of indirect taxes, my immediate task is to bring about changes which would help in reducing cost of investment in priority sectors, encourage the growth of the small-scale sector and remove certain other distortions. During the course of the year, I shall be giving consideration to other changes that might be required for the indirect tax system to make its full contribution to the further development of our economy.

77. I should make it clear that the Government is determined to pursue its socio-economic goals without fear or favour, and those who continue to indulge in tax evasion or other economic offences will do so at their peril.

78. Let me now come to my specific proposals. I shall first deal with the proposals in the field of direct taxes.

79. I propose to raise the exemption limit for personal income taxation from Rs. 15,000 to Rs. 18,000. As a result, out of about 40 lakh assessees, around 10 lakh will not have to pay any income-tax.

80. I also propose to restructure the rate schedule for personal incomes. After the nil rate slab of Rs. 18,000, the rate of income-tax on the slab of Rs. 18,001 to Rs. 25,000 will be 25 per cent; on the slab of Rs. 25,001 to Rs. 50,000, the rate will be 30 per cent; on the slab of Rs. 50,001 to Rs. 1 lakh, the rate will be 40 per cent; and on the income in excess of Rs. 1 lakh, the rate will be 50 per cent. The new rate schedule will result in a reduction in tax at all levels of income. On a taxable income of Rs. 20,000, the tax relief under the new rate schedule will be 50 per cent of the income-tax at current rates; on a taxable income of Rs. 25,000, the relief will be 22 per cent; on a taxable income of Rs. 50,000 the relief will be 18 per cent and on an income of Rs. 1 lakh, the relief will be 17 per cent. With the reduction in the tax rate slab from eight to four, the rate schedule will also stand simplified. The rate schedule applicable to Hindu undivided families having one or more members with separate incomes exceeding the exemption limit is also proposed to be consequently restructured.

81. I also propose to discontinue the surcharge on income-tax in the case of all categories of non-corporate taxpayers.

82. With the proposed modifications, the maximum marginal rate of income-tax on personal incomes will stand reduced from 61.875 per cent to 50 per cent. In fact, the average rate of tax would be even lower.

83. The calculated loss of revenue during the financial year 1985-86, due to the proposed rationalisation of the tax structure is Rs. 200 crores on account of income-tax and Rs. 197 crores on account of surcharge. However, taking into account the better compliance as a result of reduction of tax rates, the actual loss is estimated at Rs. 197 crores and that too in respect of surcharge. This entire loss will be to the account of the Centre.

84. In fulfilment of the promise made in our Election Manifesto, the scheme of compulsory deposits by income-tax payers is being abolished with effect from 1st April 1985. However, keeping in view the overall ways and means position, I propose to provide that repayments of instalments in respect of earlier deposits and payment of interest due in the financial year 1985-86 would be postponed by one year. The unpaid amount will continue to earn interest and shall be repaid in the financial year 1986-87 along with instalments due for repayment in that year. I propose to introduce a separate bill for this purpose this evening.

85. The structure of wealth-tax has been examined by a number of high-powered bodies, including the Estimates Committee and the Public Accounts Committee of Parliament. A number of suggestions have been made by them for making the system of wealth-tax more conducive to the promotion of savings and investments in the economy. The present basic exemption limit of Rs. 1,50,000 has also been considered to be inadequate in view of the rise in prices. It may be recalled that a limit of Rs. 1 lakh had been set as early as 1964. Taking these considerations into account, I propose to raise the wealth-tax exemption limit to Rs. 2,50,000 and to provide a nil rate slab in respect of net wealth up to Rs. 2,50,000. I also propose to restructure the wealth-tax rate schedule. Under the new rate schedule, the rate of wealth-tax on the slab of Rs. 2,50,001 to Rs. 10,00,000 will be 1/2 per cent; on the slab from Rs. 10,00,01 to Rs. 20,00,000, the rate will be 1 per cent; and on the slab over Rs. 20,00,000, the rate will be 2 per cent. The maximum marginal rate will, therefore, stand reduced from 5 per cent to 2 per cent. I also propose to restructure the rate schedule applicable to Hindu undivided families having one or more members with independent wealth exceeding the exemption limit.

86. The value of one house is exempt from wealth-tax upto Rs. 2 lakhs. A taxpayer is also entitled to exemption from wealth-tax in respect of specified assets up to an aggregate value of Rs. 2,65,000. An additional exemption of Rs. 35,000 is allowed in respect of units of the Unit Trust of India and deposits under the National Deposit Scheme. I propose to replace the separate exemption limits, aggregating Rs. 5 lakhs, by a consolidated exemption limit of Rs. 5 lakhs in respect of all these assets.

87. My proposals relating to wealth-tax would not result in any loss during the financial year 1985-86. Although the estimated loss during the financial year 1986-87 is Rs. 70 crores, I expect that, due to improved compliance, there would be no loss of revenue over a period.

88. As both wealth-tax and estate duty laws apply to the property of a person, the former applying to his property before death and the latter after his death, the existence of two separate laws with reference to the same property amounts to procedural harassment to the taxpayers and the heirs of the deceased who have to comply with the provisions of two different laws. Having considered the relative merits of the two taxes, I am of the view that estate duty has not achieved the twin objectives with which it was introduced, namely, to reduce unequal distribution of wealth and assist the States in financing their development schemes. While the yield from estate duty is only about Rs. 20 crores, its cost of administration is relatively high. I, therefore, propose to abolish the levy of estate duty in respect of estate passing on deaths occurring on or after 16th March, 1985. I will come forward in due course with suitable legislation for this purpose.

89. Earlier in my speech, I referred to certain measures that the Government proposes to take for the benefit of industrial and other workers. These include the proposals to give workers' dues the same priority as secured creditors in the event of closure of companies, the proposed increase in the bonus limit, and the introduction of a stock option scheme for employees and workers. With the raising of the exemption limit for personal taxation most of the industrial workers will not be required to pay any income-tax. As a measure of further relief to them, I propose to raise the monetary ceiling on the exempt amount of retrenchment compensation received by them from Rs. 20,000 to Rs. 50,000. I also propose to provide that retrenchment compensation paid under schemes approved by the Central Government will be exempt from tax in full I may also inform Honourable Members that the Government is giving consideration to the formulation of a scheme for encouraging industry to involve workers in management and, if necessary, suitable fiscal incentives will be provided for this purpose.

90. Under a provision made by the Taxation Laws (Amendment) Act, 1984, salaried taxpayers are chargeable to tax on the perquisite represented by interest-free loans or loans at concessional rates of interest provided by their

employers for certain purposes. As a measure of further relief to salaried taxpayers I propose to repeal this provision.

91 With a view to providing further encouragement for indigenous scientific research, I propose to provide that lump sum consideration received by scientists for the know-how developed by them would be spread over a period of three years and charged to tax accordingly I also propose to provide that industry may write off the lump sum consideration paid for acquiring know-how in six annual instalments. In case where the know-now has been developed in Government laboratories, Universities, laboratories owned by public sector companies and other recognised institutions, the write off would be permitted over a period of three years.

92. Authors of University level text books, dictionaries, etc. in Hindi and other Indian languages are entitled to a deduction of 25 per cent of the income by way of royalty, copyright fees, etc derived by them in respect of such books, This concession is coming to an end with the current assessment year In order to encourage the writing of such books, I propose to continue this concession for another five years

93 I propose to place donations to the Indira Gandhi Memorial Trust at par with donations to other funds of national importance. I also propose to provide that donation to the Prime Ministers National Relief Fund will qualify for 100 per cent deduction, as against the deduction of only 50 per cent allowed at present.

94. In the context of the need to bring tax evaders to book, I see little justification for providing immunity from the penal provisions to those who make a disclosure only after incriminating books of account and assets in their possession have been seized by the Income-tax Department. I, therefore, propose to remove the provisions made by the Taxation Laws (Amendment) Act, 1984 for the grant of immunity from penal provisions in such cases.

95 I also propose to enter into a dialogue with State Governments and other authorities with a view to setting up special courts empowered to try tax evaders in respect of criminal proceedings initiated against them.

96. As a measure for countering tax avoidance, I propose to plug an existing lacuna in section 167A of the Income-tax Act by providing that an association of persons shall be charged to income-tax at the maximum marginal rate if the individual shares of the members, in even a part of its income, are indeterminate of unknown Under the provision made by the Finance Act, 1983, business profits derived by charitable and religious trusts are not exempt from income-tax, except in certain cases Conformably with this provision, I propose to provide that exemption from wealth-tax will also not be available in respect of business assets of such trusts

97 I shall now deal with the proposals relating to corporation tax

98. For the financial year 1985 86, I propose to reduce the basic rate of income-tax applicable to companies by 5 percentage points At present, closely held industrial companies are charged to tax at a lower rate than that applicable to other closely held companies I propose to prescribe a common rate for all closely-held companies, except trading and investment companies In the result, the basic rate of income-tax in the case of certain categories of closely-held companies will stand reduced by 10 percentage points, from 65 per cent to 55 per cent This will particularly benefit companies carrying on employment-oriented activities such as, consultancy and advertising services and services for promotion of tourism

99 The proposed reduction in tax rates, both for the corporate and no-corporate sectors, would have to go hand in hand with the discontinuance of certain concessions Under a provision made in 1980, additional depreciation is granted in respect of machinery and plant installed during the five-year period, from 1st April, 1980 to 31st March, 1985. In the context of the proposed reduction in the rate of tax and the increase in the general rate of depreciation allowance, from 10 per cent to 15 per cent, with effect from the current assessment year, I do not consider it necessary to continue the grant of additional depreciation in respect of machinery and plant installed after 31st March, 1985.

100 Under an existing provision, expenditure incurred by companies and co operative societies on approved programmes of rural development is deducted in computing their taxable profits. While the objective is laudabble, a fiscal concession is not the right instrument to achieve this objective, I, therefore, propose to discontinue this concession, except in relation to programmes which have been approved by the prescribed authority before 17th March, 1985. The tax exemption allowed in respect of profits derived from the publication of books, which would lapse with the assessment year 1985 86, is not proposed to be continued. I also propose to withdraw the tax concession in respect of dividends received by Indian companies from certain foreign companies

101 The tax holiday concession is at present available in respect of industrial undertakings that go into production before 1st April, 1985, hotels which start functioning and ships which are brought into use before that date are also engible for this concession I propose to extend this concession for a further period of 5 years.

102. It is necessary to provide our exporters with requisite resources for modernisation, technological upgradation, product development and other activities with a view to raising their efficiency and productivity, not only in the export sector but also in the economy as a whole In view of these considerations, I propose to replace the tax concession under section 80HHC of the Income-tax Act by a new provision. Under the new provision, exporters will be entitled to a deduction of an amount, not exceeding 50 per cent of their export profits, carried to a reserve account to be utilised for the purposes of their business.

103 To facilitate the mobilisation of internal resources by the tea industry for purposes of investment in new machinery, fresh planting and replanting etc I propose to provide that companies engaged in the business of growing and manufacturing tea in India would be entitled to a deduction up to 20 per cent of their profits deposited in a special account with the National Bank for Agriculture and Rural Development. Withdrawals from this account would be allowed only for specified purposes in accordance with schemes to be approved by the Tea Board.

104 With a view to leaving larger funds with banks for meeting their increasing social commitments, I propose to discontinue interest-tax in relation to interest accruing after 31st March, 1985. I also propose to provide that banks may make tax deductible provisions for their bad and doubtful debts up to an amount equal to 10 per cent of the profits or 2 per cent of the aggregate average advances made by their rural branches, whichever is higher.

105 I also propose to discontinue the provisions relating to disallowance of 20 per cent of the expenditure, in excess of Rs 1,00,000, on advertisement, publicity and sales promotion, running and maintenance of aircraft and motor cars, and payments made to hotels The provision relating to the disallowance to 15 per cent of the interest paid by non banking non financial companies on the public deposits raised by them is also proposed to be discontinued

106 Taking into account the effect of withdrawal of some of the existing concessions and expected collections on account of the recent Supreme Court judgement regarding section 80J of the Income tax Act loss of revenue in 1985 86 due to my proposals in respect of relief in tax on corporate sector will be more than offset.

107. The other modifications proposed by me in the sphere of direct taxes are of relatively minor importance I would not like to take the time of the House by elaborating them at this stage

108. I will now come to my proposals relating to the phased reform of corporation tax to which I made a reference in the earlier part of my speech.

109. The scheme envisages that next year the basic rate of income-tax in the case of all categories of companies would be further reduced by 5 percentage points. In the third year I propose to discontinue the surcharge on income-tax payable by companies and to abolish surtax At the same time, I propose to discontinue the grant of investment allowance in a phased manner during the next two years While withdrawal of investment allowance may have an adverse effect on high-growth capital intensive industries, the general reduction in corporation tax would

lead to higher retained profits which would benefit all companies. The alternative to the above proposal is to continue the investment allowance with no further reduction in the rates of corporation tax and surcharge. I shall be grateful for the comments of the Hon'ble Members.

110. I now turn to my proposals on the indirect taxes.

111. Taking customs duties first, my principal proposal is with regard to crude petroleum. Honourable Members will recall that in the last year's Budget, auxiliary duty on crude petroleum was raised from Rs. 9.50 to Rs. 100 per tonne. I propose to increase it to Rs. 300 per tonne. I also propose to levy on crude petroleum a basic customs duty of 10 per cent ad valorem. The revenue yield from these proposals is estimated to be Rs. 620 crores in a full year. Taking this and other factors into account, there will be an increase in the price of POL products. In other cases, I propose to continue the auxiliary duty at the existing rates upto the 31st March, 1986.

112. As a measure of protection to the indigenous bearings industry, I propose to increase the basic customs duty on ball and roller bearings by 50 per cent of the existing rates. This will result in a revenue gain of about Rs. 20 crores in a year.

113. Over the years, the rate of duty applicable to project imports has gone up and reached the level of 65 per cent. With a view to bringing down capital costs, I propose to reduce the present customs duty of 65 per cent applicable to project imports in general to 45 per cent ad valorem and to provide for a lower rate of 25 per cent to imports for power projects and total exemption from duty for equipment for fertiliser projects. I propose to extend the concessional project imports rate of 45 per cent ad valorem to the public telephone exchange network project. These measures will totally cost the exchequer Rs. 290 crores in a year.

114. Honourable Members will recall that in the last year's Budget, customs duty on imported wood pulp and wood chips for the paper industry was reduced to 30 per cent and nil, respectively. As a measure to relieve the pressure on our forest resources, I now propose to totally exempt imported pulp and wood chips and make this concession available to all user industries. Customs duty on wood in certain specified forms is also proposed to be reduced from the existing level of 100 per cent to 40 per cent ad valorem. These concessions would entail a revenue sacrifice of about Rs. 17.70 crores in a full year.

115. Not all the proposals in my basket qualify to be described as crude or wooden. To encourage alternative sources of energy, I propose to provide for total exemption from customs duty in respect of wind operated electricity generators and wind operated battery chargers. I also propose to reduce customs duty on exhaust gas analysers and smoke meters in order to help enforce anti-pollution norms. The revenue effect of these concessions will be Rs. 7.54 crores.

116 I now propose a set of measures aimed at export promotion. I am abolishing the export duties on twelve items which comprise iron ore, manganese ore, raw cotton, chromite ore and concentrate, cotton waste, animal feed, manganese dioxide, sillimanite, deoiled groundnut oilcake, raw wool, kyanite and bridge mica. With this abolition, export duty will now be leviable only on four items, namely, coffee, unmanufactured tobacco, mica other than bridge mica and hides and skins. Revenue implication of this proposal is Rs. 15.05 crores.

117. Keeping in view the potential of the leather industry in the field of exports, I am presenting a package of proposals relating to this industry. I propose to reduce customs duties on specified machinery used for leather processing, footwear and other leather goods manufacturing industries, from the general level of 81.5 per cent to 35 per cent *ad valorem*. I propose to fully exempt raw hides and skins, crust leather and finished cattle leather from import duty. The existing exemption on wet blue leather is also being made available on a long term basis. The import duty on wattle extract used by the leather processing industry is being reduced from 87 per cent to 40 per cent ad valorem. The proposals involve a revenue sacrifice of Rs. 20.07 crores in a year.

118. Some concessions were given in the last Budget and in January, 1985 on imports of gem and jewellery machinery. I now propose to extend the concession to certain components of gem and jewellery machinery and to some essential tools for operating them. The revenue effect of this proposal is Rs. 53 lakhs. I also propose to continue the concession given in the last Budget in respect of specified items of machinery for food and meat processing and packaging.

119. In order to give relief to the woollen textile industry, I propose to reduce customs duty on raw wool from 50 per cent to 40 per cent ad valorem. This relief will cost the exchequer Rs. 4.80 crores in a year.

120. Honourable Members would recall that a few months ago, Government had extended a concessional rate of customs duty of 45 per cent in respect of components to be imported for the manufacture of fuel efficient commercial vehicles under a phased manufacturing programme. I propose to extend this concession to warranty spares for such vehicles. In order to help indigenisation of the parts of commercial vehicles, I also propose to make the same concessional rate available to components imported by specified ancillary industries. The concession is proposed to be extended to components of fuel injection pumps and warranty spares imported by manufacturers of fuel injection pumps. Together, these concessions will cost the exchequer Rs. 24.7 crores in a year.

121. I propose to totally exempt from customs duties certain advanced type of computers not manufactured in the country. Simultaneously, customs duty on four imported components of computers is being further reduced from 75 per cent to 25 per cent ad valorem with a view to reducing the costs of the indigenous manufacturer of computers. These proposals would involve a revenue scarifice of Rs. 20.40 crores.

122. The demand of health and medical care has not escaped my attention. I propose to reduce the duty on certain import items of medical equipment such as Nuclear Magnetic Resonance Scanner, CAT Scanner and Linear Accelerator, to 45 per cent ad valorem. Three specified intermediates used in the manufacture of the anti-T.B. and anti-Leprosy drug, Rifampicin, are being totally exempted from import duty. I also propose to reduce the customs duty on eight other drug intermediates as also on homoeopathic medicines. The revenue effect of these concession is Rs. 14.09 crores.

123. Government has already exempted from the levy of customs duty scientific and technical instruments, apparatus and appliances imported by research institutions subject to certain conditions. As a measure of further encouragement to research in the country, I propose to exempt from customs duty consumable items of research materials to be imported by public-funded research institutions upto a value of Rs. 50,000 in a year. This would entail a revenue scarifice of about Rs. 2.5 crores in a year.

124. In order to encourage domestic production of zip fasteners and discourage their smuggling, I propose to fully exempt zip fasteners from excise duty. This is in keeping with the other measures taken by me in this direction. Honourable Members will recall that recently the import duty on watch components, horological machines and raw materials was reduced, as also the excise duty on watches. This measures will cost the exchequer Rs. 3.07 crores.

125. In this context, the Honourable Members are aware of the various measures being taken by Government to tighten the implementation of anti-smuggling measures. We have also recently announced a liberalised scheme of rewards and incentives in this connection I hope Honourable Members of the House will help to create a vibrant public opinion which alone, in the ultimate analysis, can help to reduce and eliminate the anti-national activities of smugglers.

126. With a view to giving encouragement to our sportsmen winning awards in events of international significance, we have evolved a scheme by which they are given suitable concessions in respect of taxes due on the awards.

127. Certain changes in the Customs Tariff Act, 1975 are also proposed. The details of these proposals are in the Budget papers.

128. Before I deal with my propsals in respect of excise duties, there is one matter which I would like to mention. It relates to the recommendation of the Eighth Finance Commission that there was scope for increasing the rates of stamp duty on bills of lading, letters of credit and general insurance policies. I accordingly propose to raise the rates of stamp duty on the instruments of bills of lading and letters of credit. I propose, however, not to disturb the existing rates of stamp duty on general insurance policies The new rates of duties would be effective only from the 1st July, 1985. The accrual of additional revenue to the States and the Union territories during the next financial year would be Rs. 12.24 crores.

129. Coming now to the excise duties, let me begin with my proposals for additional resource mobilisation.

130. The rate of duty in respect of item 68 of the excise tariff is being raised from the existing level of 10 per cent to 12 per cent. This is likely to yield an additional revenue of Rs. 125 crores by way of central excise duties and Rs. 60 crores by way of countervailing duty in a full year. I must hasten to add that this increase will not affect the raw materials and manufactured inputs which are intermediates, as the existing provisions for the set off of the duty paid on goods falling under item 68 used in the manufacture of other excisable goods, would continue.

131. The excise duty on vegetable product which has been at a low level of 5 per cent for over 15 years is being raised to 10 per cent. This measure would fetch in a full year additional revenue of Rs. 70 crores.

132. The basic excise duty on cement is being raised from Rs. 205 per MT to Rs. 225 per MT for the common varieties of cement. This will result in an additional revenue gain of Rs. 66 crores on the excise side and Rs. 1.60 crores on the customs side by way of increase in the countervailing duty.

133. Four new items are being introduced in the Excise tariff which will yield additional revenue of Rs. 19 crores in a year. The first three items are marble blocks, slabs and titles, travel goods and organic-chemicals. The last item is a preparation 'containing betel nuts and any one or more of other ingredients such as lime, catechu, cardamom, copra and menthol, put up for sale in unit containers'. Honourable Members wil recognize this 'coalition' as pan masala.

134. The extent of duty differential enjoyed by mini steel plants is being reduced. However, they will still have a duty advantage of Rs. 50 per MT. This measure is expected to yield an additional revenue of Rs. 18 crores in a full year.

135. I propose to increase the basic excise duty on aerated waters from 25 paise to 30 paise per bottle of 200 ml. and on soda water from 5 paise to 10 paise per bottle of 200 ml. There will be proportionate increase for bottles of higher capacity. I also propose to increase the basic duty on crown corks from 2 paise to 5 paise per unit These proposals are expected to yield an additional revenue of about Rs 16.75 crores in a full year.

136. As a measure aimed at reducing evasion, I propose to provide for purely specific rates of duty in respect of flat glass. I also propose to rationalise the tariff structure relating to glass. These measures will result in a revenue gain of Rs. 12.5 crores.

137. I propose to raise the basic excise duty on printing and writing paper and kraft paper, of specified varieties, by Rs. 200 per MT. and to increase the basic excise duty on certain speciality papers like coated paper, glassine paper and cigarette tissue. The revenue gain from these measures will be Rs. 10 50 crores

138. I propose to raise the total duty on bids from Rs. 3.75 to Rs. 4 per thousand, on metal jacketed batteries from 20 per cent to 25 per cent ad valorem, and on storage batteries from 15 per cent to 20 per cent. These measures are expected to result in a revenue gain of Rs. 16.84 crores.

139. My next few proposals are rationalisation measures.

140. The concessional rates applicable to veneer matches are being extended to cardboard matches produced in the non mechanised sector. The differential rates of duty for use of cardboard in matches in the mechanised sector are dispensed with. There will be only four rates of duty, namely, Rs. 1.60, Rs. 4.50, Rs. 5.15 and Rs. 6.85 per gross boxes as against the multiplicity of rates prevailing now. I hope this measure will result in greater use of cardbord in place of wood in the non-mechanised sector.

141. In the case of household, laundry and toilet soaps, duty rates depending only on the value of the soap are being prescribed. The present value limit of Rs. 7,800 per tonne for qualifying for the lower rate of duty is being raised to Rs. 10,000 per tonne. All soaps of value below Rs. 10,000 per MT will be charged to concessional duty of 5 per cent and other higher priced soaps will be charged to 15 per cent ad valorem. There will be an incidental revenue gain of about Rs. 1 crore from this measure.

142. In respect of gases and tubes and flaps of tyres, the present ad valorem levies are being converted into specific rates to simplify the assessment procedures.

143. I have also included in the Finance Bill some provisions designed to achieve rationalisation, simplification and clarity in the tariff nomenclautre in respect of cosmetics and toilet preparations, iron and steel and non-ferrous metals. This measure in the case of cosmetics and toilet preparations is estimated to result in a revenue gain of about Rs. 5 crores. There are certain other minor proposals with not much revenue significance, which include revision of rates of duty in some cases and readjustment of duties.

144. My next two proposals are a measure of simplification as well as relief. The first relates to special excise duty. This duty, as Honourable Members are aware, is levied as a percentage of the basic excise duty, the maximum being 10 per cent. The present system emails maintenance of separate account in respect of this levy. As a first step towards abolition of special excise duty, I propose to exempt as many as 100 items from this levy merging the special excise duty in some cases with the basic duty. Only 32 items will now be subject to this levy. This measure will cost the exchequer Rs. 38.20 crores.

145. The second proposal regarding simplification concerns the licence fee on television sets, VCRs and radios. While the requirement of taking out a licence in the case of radios, television sets and VCRs is being dispensed with, a new one-time levy is being introduced on television sets alone at a uniform rate of Rs. 100 per set in lieu of the present licence fee of Rs. 50 payable every year till the T.V. sets lasts. Henceforth, people will not have to go to the post offices for taking out or renewing licences. This levy would be an additional duty of excise, so far as T.V. sets manufactured in India are concerned. The additional duty of excise collected from this will accrue to the Centre only and will not be shareable with the States. Additional duty of customs of an equal amount would be levied on television sets when imported into India The collection on this account is expected to be Rs 18 crores in a year on the excise side and Rs. 2 crores on the customs side.

146. Now I come to my proposals regarding textiles, propose to partly shift the cotton fabrics duty to the yarn stage. Unprocessed cotton fabrics are being fully exempted and duty burden on cotton varn is being increased generally by about 25 per cent. However, cotton yarn in straight reel hanks which is generally used by handlooms will continue to be exempted The concessional rates for yarn in cross reel hanks supplied to registered handloom cooperative societies, are also being continued. Power processing of fabrics, whether in composite mills or elsewhere, will now attract the same processing stage duty generally at a lower rate. While lowering the overall rate, I have taken care to ensure that the additional duty component collected in lieu of sales tax which goes to the States is increased. Exemption enjoyed by hand

processors is being continued. So also the exemption to handloom fabrics processed by approved independent processors and registered handloom cooperative societies is being continued.

147. I also propose to fully exempt shoddy woollen blankets. Excise duty on certain polyster-wool blended fabrics is also being reduced.

148. My proposals on excise duties relating to textiles would result in a revenue loss of about Rs. 13.85 crores in a full year.

149. As Honourable Members are aware, substantial concessions in customs duty have been accorded in the last two years to the electronics industry, keeping in view the growth potential of this industry I have already referred to the concessions in customs duty, in respect of computers. I propose to completely exempt computers from excise duty. I have also attempted to rationalise the existing excise tariff structure in respect of different electronic items.

150. In order to simplify assessment of excise duty on television sets, I propose to fix specific rates of duty relattable to the size of the T.V. screen. While doing so, I am also exempting from excise duty black and white television sets of screen size not exceeding 36 cms.

151. These proposals will cost the exchequer Rs. 7.72 crores in a year.

152. I propose to increase the basic excise duty on commercial vehicles from 10 per cent to 15 per cent ad valorem and on three-axled vehicles from 7.5 per cent to 10 per cent ad valorem. This would yield about Rs. 45 crores in a year. However, I propose to provide for credit of the duty paid on tyres and batteries used in the manufacture of all commercial vehicles including three-axled vehicles. I also propose to allow a reduction of duty by 2 percentage points in respect of commercial vehicles if such vehicles are turbo-charged. This concession will also be extended to passenger cars if they are turbo-charged. These two proposals will cost the exchequer Rs. 82 crores in a year. The net loss of revenue would, therefore, be Rs. 37 crores. I hope these measures would help manufacturers to reduce the prices of commercial vehicles.

153. Honourable Members would recall that in the 1982 Budget, full exemption was given to duplex paper board intended for lamination with low density polyethylene and intended for packaging of milk. I propose to extend the concession to all varieties of paper and paper board intended for lamination with low density polyethylene, which should help in better utilisation and marketing of milk. I also propose to fully exempt accessories of cycle and leather board from excise duty. These measures will entail a revenue sacrifice of Rs. 2.10 crores in a full year

154. My best proposal relates to the excise duty exemption for the small scale sector. As the Honourable Members are aware, the excise duty mechanism has been used to encourage the growth of the sector. Under the present general scheme relating to 67 specified groups of commodities, full exemption is available upto first clearance of Rs. 7.5 lakhs and clearances thereafter upto Rs. 25 lakhs are charged to duty at 75 per cent of the duty otherwise payable. However, a unit whose clearances had exceeded Rs. 25 lakhs in the preceding financial year is not eligible for the concession. In order to see that the cut-off limit of Rs. 25 lakhs does not inhibit the growth of the small scale sector, I propose to raise the eligibility limit of Rs. 75 lakhs. I also propose to further liberalise the scheme by providing for slab rates. For clearances between Rs. 7.5 lakhs and Rs. 15 lakhs the rate will be 25 per cent, for clearances between Rs. 15 lakhs and Rs. 25 lakhs the rate will be 50 per cent and for clearances between Rs. 25 lakhs and Rs. 40 lakhs the rate will be 75 per cent of the duty otherwise payable. The revised scheme envisages that even when a manufacturer exceeds the limit of Rs. 40 lakhs, he does not lose the concessional rates applicable at the lower slabs, till he exceeds Rs. 75 lakhs. A smiilar scheme with some modifications is being introduced in respect of goods falling under item 68.

155. My proposals relating to the small scale sector entail a revenue sacrifice of Rs. 20 crores.

156. My proposals in respect of customs and excise duties outlined above are likely to yield additional revenue of Rs. 707 crores from customs duties and Rs. 424.29 crores from excise duties. The concession and relief aggregate R. 419 88 crores on the customs side and Rs. 164.75 crores on the excise side. The net additional revenue from customs duties thus would be Rs. 287.12 crores and that from excise duties Rs. 259.54 crores. In the excise duties, the Centre's share would be Rs. 138.59 crores and that of the States Rs. 119.95 crores. The Centre's share includes a sum of Rs. 18 crores on account of additional excise duty on television sets. I would like to mention that the States' share has been calculated at the rate of 45 per cent of the net proceeds from basic excise duties and that steps have been taken to increase the incidence of additional duty in lieu of sales tax.

157. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from the 17th March, 1985, will be laid on the Table of the House in due course.

158. I had earlier mentioned that the Budget deficit at the existing rates of taxes would be Rs. 3660 crores. The proposed tax measures, taken together with reliefs and concessions are estimated to yield net additional revenue of Rs. 311 crores to the Centre and Rs. 132 crores to the States during 1985-86 This will leave an uncovered deficit of Rs 3349 crores. This deficit is lower than that in the current year and is reasonable. I am confident that various policies and measures which we have proposed will further stimulate the economy and contribute to the welfare of the comman man.

159. Let me end, Mr. Speaker, as I began, with the words of the late Prime Minister, Smt. Indira Gandhi : "We all have faith in new India. Let us put our shoulder to the wheel".

A. RANGACHARI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985